पी. एण्ड एस. बैंक

राजभाषा अंकुर

सितम्बर 2018

राजभाषा विशेषांक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(राजभाषा विभाग)

सुस्वागतम

हमारे नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का

श्री एस. हरिशंकर जी ने बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद ग्रहण किया। बैंक में उनके शुभागमन पर कार्यकारी निदेशक डॉ. फरीद अहमद तथा श्री गोविंद एन. डोंग्रे फूलों से उनका स्वागत करते हुए।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैंक के उच्चाधिकारी गण के साथ।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

'बैंक हाउस', प्रथम तल, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 125

सितम्बर, 2018

मुख्य संरक्षक

एस. हरिशंकर
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संरक्षक

डॉ. फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

श्री गोविन्द एन.डोंग्रे
कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक

श्री संजीव श्रीवास्तव
उप महाप्रबंधक सह मुख्य
राजभाषा अधिकारी

संपादक व प्रकाशक

श्री राजीव कुमार राय
वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)

संपादक मंडल

डॉ. नीरू पाठक
प्रबंधक
रूप कुमार
कौशलेन्द्र कुमार
राजभाषा अधिकारी

ई-मेल : hindipatrika@psb.co.in

पंजीकरण सं. : एफ. 2(25) प्रैस. 91

(पत्रिका प्रकाशन तिथि : 1/11/2018)

'राजभाषा अंकुर' में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार, संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिक एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

मुद्रक : बी.एम. ऑफसेट प्रिन्टर्स

F-16, DSIIDC, Industrial Complex,
Rohtak Road, Nangloi, New Delhi - 110041
Ph. : 011-49147897, 9811068514

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संपादक मंडल/विषय सूची	1
2.	आपकी कलम से	2
3.	संपादकीय	3
4.	गृहमंत्री जी का संदेश	4
5.	वित्त मंत्री जी का संदेश	5
6.	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी का संदेश	6
7.	कार्यकारी निदेशक महोदय का संदेश	7
8.	बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियां और समाधान	8-9
9.	हिंदी दिवसः हिंदी के लिए एक ही दिन क्यों	10-11
10.	पटना बैठक के कार्यवृत्त	12
11.	नराकास उपलब्धियाँ	13
12.	शहीदी गुरूपर्व....	14-15
13.	हिंदी पखवाड़े में प्रतियोगिताएं/निरीक्षण	16-17
14.	काव्य-मंजूषा	18-19
15.	ग्राहक के मुख से	20
16.	हिंदी दिवस समारोह	21
17.	पुरस्कार वितरण	22-23
18.	हिंदी/पंजाबी कार्यशाला	24
19.	ज़रा सोचिए/कार्टून कोना	25
20.	सफरनामा	26-28
21.	बिनगारिया एक आदिवासी गाँव (पंजाबी भाषा में, हिंदी रूपांतर सहित)	29-31
22.	देवनागरी लिपि और मानक हिंदी वर्तनी	32-35
23.	बैंक के विभिन्न आँचलिक कार्यालयों में हिंदी दिवस	36-37
24.	बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन-नवोन्मेष कार्य	38-41
25.	राजभाषा अधिकारी में नेतृत्व तथा आयोजन क्षमता	42-43
26.	हिंदी अनुवाद-जटिलता एवं समाधान/मेरी प्यारी दादी	44

आपकी कलम से.......

प्रिय संपादक महोदय

मुझे राजभाषा अंकुर का अप्रैल-जून, 2018 का अंक मिला। सर्वप्रथम तो इतनी अच्छी पत्रिका निकालने के लिए आपको बधाई। पत्रिका का ग्राहक सेवा पर आधारित यह विशेषांक जन-सामान्य को बैंकिंग सेवा के प्रति निश्चित ही जागरूक करेगा। पत्रिका अपनी मुख्यपृष्ठ से ही आकर्षक प्रतीत होती है। यद्यपि इस अंक के सभी आलेख पठनीय है, तथापि कुछ विशेष तौर पर उल्लेखनीय है, यथा- श्री विनय कुमार मेहरोत्रा(आँचलिक प्रबंधक, भोपाल) जी का 'बूंद-बूंद जिंदगी की', डॉ. नीरू पाठक का 'बैंक के 110वें स्थापना दिवस पर बैंक का इतिहास'। श्री संजीव श्रीवास्तव (उप महाप्रबंधक) जी की कविता 'रोशनी की ओर' बेहद मर्मस्पर्शी कविता है। पत्रिका में बैंकिंग सेवा में तकनीक की संभावनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है जो कि आज की आवश्यकता भी है। कुल मिलाकर पत्रिका न सिर्फ पठनीय है अपितु संग्रहणीय भी है। आपको एवं आपके पूरे संपादक मंडल की टीम को मैं एक बार फिर से इतनी अच्छी पत्रिका निकालने के लिए बधाई देता हूँ तथा यह विश्वास भी प्रकट करता हूँ कि भविष्य में भी हम राजभाषा अंकुर के ऐसे ही स्तरीय अंक से लाभान्वित होते रहेंगे।

गोपाल कृष्ण
उप महाप्रबंधक (निरीक्षण)

बैंक द्वारा प्रकाशित की जा रही तिमाही पत्रिका राजभाषा अंकुर का अंक जून 2018 प्राप्त हुआ - धन्यवाद।
पत्रिका में प्रकाशित लेख स्तरीय और ज्ञानवर्धक है।

वैकल्पिक डिलीवरी चैनल, बैंक की ग्राहक सेवा एवं लाभप्रदता, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में जी.एस.टी का प्रभाव काफी जानकारीपरक लेख हैं। पवन कुमार जैन का लेख राजभाषा नीति से संबंधित सूचनापरक व ज्ञानवर्धक हैं। लेखकों को साधुवाद।
बैंक के 110वें स्थापना दिवस पर लिखे लेख से सिद्ध होता है कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं।
पत्रिका की साज-सज्जा, कलेवर व छाया चित्रों का मुद्रण सजीव व स्तरीय है।

आपके संपादक मंडल व आपके मार्गदर्शन की मेहनत साफ दृष्टिगोचर हो रही है। इतने सुंदर प्रकाशन के लिए समस्त राजभाषा परिवार को बधाई।

डॉ चरनजीत सिंह
सेवानिवृत्त राजभाषा प्रभारी

राजभाषा अंकुर का जून 2018 का ग्राहक सेवा विशेषांक मिला, सर्वप्रथम इसके लिए धन्यवाद। 44 पृष्ठों की पत्रिका में विषयों का कुशल संयोजन गया है। इससे पत्रिका रोचक प्रतीत होती है। इसे आरंभ से अंत पढ़ा काफी अच्छा लगा। सबसे पहले हमारे बैंक के नए अध्यक्ष डॉ. चरन सिंह जी का बैंक के कार्मिकों के लिए दिया संदेश पढ़ा जो काफी प्रोत्साहित करता है। श्री पृथ्वी राज नायक की एक बैंकर की डायरी कहानी काफी रोचक है श्री संजीव श्रीवास्तव ने रोशनी की ओर...... कविता में मन की पीड़ा को बड़े अच्छे ढ़ग से व्यक्त किया है। डॉ नीरू पाठक हर अंक में कुछ न कुछ नया लिखती रहती है इस अंक में उनकी कविता समय बदलेगा.... के माध्यम से काफी अच्छे तरीके से अपने भाव व्यक्त किए है। श्री पवन कुमार जैन का भारत सरकार की राजभाषा नीति पर आलेख - राजभाषा नीति संबंधी सभी नियमों से हमें अवगत कराया। कुल मिलाकर यह अंक रचनात्मक सामग्री से भरपूर है, अतः आपको एवं संपादक मण्डल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

महाप्रबंधक (राजभाषा) का संपादकीय सटीक व संतुलित लगा। बैंक की गृह पत्रिका राजभाषा अंकुर को भारतीय रिज़र्व बैंक का वर्ष 2016–2017 का प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ जो बैंक का गौरव बढ़ा रही है।

रविन्दरजीत सिंह बक्शी
आँचलिक प्रबंधक, जयपुर

संपादकीय

साथियो,

''राजभाषा अंकुर'' पत्रिका के माध्यम से अपने मन की बात आप सभी से साझा करने का मेरा यह पहला अवसर है। मेरे लिए ये पल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमारे लिए अत्यंत गौरव एवं प्रसन्नता की बात है कि दिनांक 14.09.2018 को हिंदी दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में हमारे बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉ. फरीद अहमद जी ने माननीय उप राष्ट्रपति महोदय श्री एम. वेंकैया नायडु जी के कर कमलों से ''क'' क्षेत्र का कीर्ति पुरस्कार (द्वितीय) प्राप्त किया। इसके लिए न केवल राजभाषा विभाग अपितु बैंक के सभी कार्मिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में आप सभी ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की। मैं, न केवल प्रतियोगिताओं के विजेताओं का बल्कि जिन्होंने प्रतियोगिताओं में सहभागिता की उन सभी का राजभाषा विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ।

बैंक में राजभाषा को बढ़ावा देने में अंकुर पत्रिका भी अपनी अहम भूमिका पूरे जोर-शोर से निभा रही है। प्रस्तुत अंक राजभाषा विशेषांक के रुप में आप सभी के समक्ष राजभाषा की विभिन्न विधाओं संबंधी लेखों को समाहित कर अनेकता में एकता के सूत्र को प्रतिपादित कर रहा है। नीलम मल्होत्रा का लेख ''बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन'', कौशलेन्द्र कुमार का लेख ''देवनागरी लिपि एवं मानक हिंदी वर्तनी'' लेख ज्ञानवर्धक होने के साथ अनुकरणीय भी हैं जबकि ''मेरी दादी माँ'' कविता दिल को छू जाएगी। पत्रिका में आरंभ किया गया नया स्तंभ ''ग्राहक के मुख से'' बैंक की विभिन्न शाखाओं के ग्राहकों को भी पत्रिका से जोड़ रहा है। इसके अतिरिक्त काव्य-मंजूषा, कार्टून, ज़रा सोचिए तथा अन्य साहित्यिक विधाओं से भरपूर यह अंक अत्यंत रुचिकर है। पत्रिका के बहुआयामी विकास के लिए भविष्य में भी आप सभी की सहभागिता अपेक्षित है।

आशा है 'राजभाषा अंकुर' का यह अंक भी आपको पसंद आएगा। पत्रिका आपको कैसी लगी, कृपया हमें अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं।

(संजीव श्रीवास्तव)
उप महाप्रबंधक सह
मुख्य राजभाषा अधिकारी

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH
गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

प्रिय देशवासी बहिनो एवं भाइयों !

हिंदी दिवस पर आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

भाषा, किसी भी राष्ट्र की सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर की संवाहिका होती है और भाषायी एकता से ही राष्ट्र की अखण्डता सुदृढ़ होती है। कोई भी देश स्वभाषा के बिना अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व को मौलिक रूप से परिभाषित नहीं कर सकता।

पुरातन काल से 'हिंदी' हमारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती आ रही है और आज वह भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ-साथ भारत के संविधान में वर्णित भावनात्मक एकता को मजबूत करने का भी माध्यम है। हिंदी ने भारतीय संस्कृति से संविधान निर्माण प्रक्रिया तक और पुरातन युग से स्मार्ट फोन के प्रयोग तक का लंबा सफर तय करते हुए हमारी सामासिकता को अक्षुण्ण रखने में महती भूमिका निभाई है और देशवासियों में अनेकता में एकता की भावना को भी पुष्ट किया है।

जिस देश के नागरिक अपनी भाषा में सोचें और लिखें, विश्व उस देशको सम्मान की दृष्टि से देखता है। भारत जैसे विशाल, बहुभाषी और प्रजातांत्रिक देश की चहुँमुखी विकास प्रक्रिया में हिंदी के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं की भी अहम भूमिका रही है। हमारे देश की सभी भाषाएँ और बोलियाँ हमारी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक धरोहर हैं और इनका प्रयोग एवं प्रचार-पसार करना, यह हमारा कर्तव्य है।

भारतीय संविधान द्वारा दिनांक 14 सितंबर, 1949 को धार्मिक, सास्कृतिक और राजनैतिक परंपराओं को जोड़ने की कड़ी और अधिकांश देशवासियों द्वारा बोली एवं समझी जाने वाली, 'हिंदी भाषा' को 'संघ की राजभाषा' के रूप में चुना गया है। इसके साथ ही, संघ सरकार को यह महत्वपूर्ण दायित्व भी सौंपा गया कि वह अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली पदावली को आत्मसात करते हुए हिंदी भाषा का विकास करे ताकि वह भारतीय संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

आज कोई भी भाषा कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रह कर जन-मानस से जुड़ी नहीं रह सकती। वर्तमान में डेटाबेस के आधार पर मशीनी अनुवाद के जरिए पूरे विश्व में अनुवाद कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार के कामकाज में अत्यधिक मात्रा में नियमित आधार पर किए जाने वाले अनुवाद कार्य में लगने वाले अतिशय मानव संसाधन और समय को बचाने के लिए राजभाषा विभाग ने सी-डैक, पुणे की सहायता से 'कंठस्थ' नामक अनुवाद सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है। भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने भी एक अभिनव पहल करते हुए 'हिंदी प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र' की स्थापना की है ताकि कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए नवीन ई-टूल्स विकसित किए जा सकें।

निज भाषा के प्रति स्वाभिमान और हिंदी भाषा का समुचित ज्ञान एवं तकनीक कुशलता ही हिंदी में कार्य करने का मुख्य आधार है। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों आदि में इन सॉफ्टवेयरों के अधिकाधिक प्रयोग से द्विभाषीकरण यानि अनुवाद कार्य अपेक्षाकृत सरल होगा और इससे राजभाषा कार्यान्वयन को गति मिलेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी के मौजूदा दौर में हमें हिंदी के विभिन्न ई-टूल्स जैसे यूनिकोड, हिंदी की-बोर्ड, लीला स्वयं हिंदी शिक्षण सॉफ्टवेयर, अनुवाद ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, श्रुतलेखन, ई-महाशब्दकोश आदि का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

मॉरीशस में 18–20 अगस्त 2018 को आयोजित किए गए 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भी यह तथ्य उजागर हुआ है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी तेजी से अपनी नई पहचान स्थापित कर रही है। तथापि, पहले हमें राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को वह उच्चतम स्थान दिलाने के लिए कटिबद्ध होना होगा जिसकी वह अधिकारिणी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक एवं सार्थक प्रयासों से निकट भविष्य में हमें सकारात्मक परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे।

मेरे प्रिय देशवासियो, हमें हिंदी का प्रचार-प्रसार केवल सरकारी स्तर तक सीमित न रख कर इसे भारत के जन-जन ले जाना होगा। ताकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के प्रत्येक नागरिक को मिल सके। साथ ही हमें न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में हिंदी भाषा का प्रकाश फैलाने के लिए अपना योगदान देना होगा।

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सब को पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

जय हिंद !

नई दिल्ली,

14 सितंबर, 2018

(राजनाथ सिंह)

अरूण जेटली
वित्त एवं कार्पोरेट कार्य मंत्री भारत
Arun Jaitley
Minister of Finance and Corporate Affairs India

हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं।

सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और भाषायी विविधता से सराबोर और गौरवान्वित भारत को एकसूत्र में पिरोने का दायित्व हिंदी बखूबी निभा रही है। भारत की अस्तिमा को विश्वभर में प्रतिष्ठित करने में हिंदी की अहम भूमिका है। हमारे देश के प्राचीन मनीषियों और विचारकों के संदेश जन-जन तक पहुँचाने, स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय जन-मानस को जोड़ने तथा आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के प्रसार करने का माध्यम हिंदी है। हिंदी जीवन के हर पहलू में जीवंत व गतिमान है। इसलिए, संविधान निर्माताओं ने हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया। संविधान तथा राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का उद्देश्य यही है कि संघ के कार्य-कलापों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक हो और देश की सामासिक संस्कृति को बढ़ावा मिले।

परंपरा रही है कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि शासकीय भाषा का स्वरूप जन-भाषा जैसा हो। इस संबंध में, मैं मूर्धन्य कवि श्री गोपाल सिंह नेपाली की कविता की कुछ पंक्तियों का उल्लेख करना चाहूंगा:

"बढ़ने दो इसे सदा आगे, हिंदी जनमत की गंगा है
यह माध्यम उस स्वाधीन देश का, जिसकी ध्वजा तिरंगा है
हों कान पवित्र इसी सुर में, इसमें ही हृदय तड़पने दो
हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो"

आइए, हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम उपर्युक्त पंक्तियां याद रखते हुए हिंदी में कार्य करने के अपने सांविधानिक दायित्व को निभाने को निभाने का संकल्प लें और हिंदी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय सहयोग दें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रयासों से हमें वांछित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे।

(अरूण जेटली)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय का संदेश

प्रिय पीएसबीएन,

आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

''राजभाषा अंकुर'' पत्रिका के माध्यम से आपके साथ संवाद स्थापित करते हुए मैं आत्मीय प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। हिंदी मात्र एक भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की सबल, सशक्त तथा समर्थ संवाहिका भी है। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और तभी से यह दिन ''हिंदी दिवस'' के रूप में मनाया जाता है। बैंक में भी सभी आँचलिक कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया जिसमें आप सभी ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की। राजभाषा के प्रति अपने इस उत्साह को भविष्य में भी बनाए रखें।

साथियो, हमारे संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। देश में भाषाओं की विविधता तथा बैंक में सभी क्षेत्रों से आए विभिन्न भाषा-भाषी स्टाफ को ध्यान में रखकर, अंकुर पत्रिका में एक प्रादेशिक भाषा को भी स्थान दिया जा रहा है, यह प्रयास सराहनीय है। इस भाषिक एकता सूत्र संयोजन में आप सभी बढ़-चढ़कर भाग लें, जिससे हम बैंकिंग जगत में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर सकें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि न केवल राजभाषा के क्षेत्र में बल्कि बैंकिंग के प्रत्येक क्षेत्र में आपके कार्य एवं सेवा के प्रति समर्पण से हमारा बैंक निरंतर प्रगति करेगा।

(एस. हरिशंकर)

हिंदी दिवस समारोह - कार्यकारी निदेशक का संदेश

साथियो,

आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

14 सितंबर, 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और तब से ही हिंदी भाषा में कार्य करना संवैधानिक अनिवार्यता हो गया है। साथियो, संसार के सभी देश अपनी-अपनी भाषा में कार्य कर रहे है। और सफल हो रहे हैं किंतु आजादी के इतने वर्षों के पश्चात भी हम स्वयं अपनी भाषा में कार्य नहीं करते बल्कि एक विदेशी भाषा के पीछे लगे हुए हैं और उस विदेशी भाषा को अपनी प्रतिष्ठा के साथ भी जोड़ते हैं। आप स्वयं सोचिए कि हिंदुस्तान जहाँ की संपर्क भाषा और अधिकांश लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, वहाँ राजभाषा की प्रगति के लिए इतने अधिक प्रयत्न किए जाते हैं, हिंदी दिवस मनाया जाता है और उसके बाद भी हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ हमें होना चाहिए।

मुझे खुशी है और यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल दिनांक 14 सितंबर, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में हमारे बैंक को 'क' क्षेत्र में, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु जी के कर-कमलों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए हिंदी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व वर्ष 2017 में भी हमारे बैंक को 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' प्राप्त हुआ था। लगातार दूसरे वर्ष भी 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' प्राप्त होना हमारे बैंक के लिए सम्मानजनक बात है। इसके लिए मैं राजभाषा विभाग को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ किंतु हमें राजभाषा हिंदी को केवल' हिंदी दिवस' या 'हिंदी पखवाड़े' तक ही सीमित नही रखना है। अपने उत्साह को बनाए रखें। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप सभी राजभाषा हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करेंगे।

अंत में, हिंदी शील्ड विजेता कार्यालयों को, हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को, हिंदी प्रतियोगिता के सहभागियों को और सभी स्टाफ सदस्यों को हिंदी दिवस की शुभकानाएं देता हूँ।

फरीद अहमद
(कार्यकारी निदेशक)

हिंदी दिवस समारोह-कार्यकारी निदेशक का संदेश

साथियो,

हिंदी दिवस के अवसर पर आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली तथा समझी जाने वाली हिंदी भाषा को, देश की धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए संघ की राजभाषा के रूप में चुना गया। इस अवसर पर मैं आपसे आग्रह करता हूँ आप सभी अपने दैनिक कार्य अधिकतम सीमा तक हिंदी में करें।

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको पुनः मेरी शुभकामनाएं।

(गोविंद एन. डोंग्रे)
कार्यकारी निदेशक (राजभाषा)

बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियाँ और समाधान

राजीव रावत

बैंकों को हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हैं। संबंधित देशों की अर्थव्यवस्था की गति और दिशा किस ओर चल रही है इसका आकलन हम उस देश की बैंकिंग व्यवस्था से कर सकते हैं।

उदारीकरण के बाद हमने काफी प्रगति की है। खासकर पिछले एक दशक में हमारे देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर (7–8 प्रतिशत की औसत) काफी उच्च रही है। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था का भी विस्तार इन दिनों में काफी हुआ है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गयी है। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था के निर्धारण हेतु आंतरिक कारण के साथ-साथ वैश्विक कारण भी समान रूप से जिम्मेदार हो रहे हैं।

भारत एक खपत आधारित (Consuming economic) अर्थव्यवस्था है। हम अपने कुल उत्पादित उत्पाद के लगभग दो तिहाई भाग का अपने देश में ही खपत कर लेते हैं। निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक हलचलों से अछूती नहीं रहती है। वर्ष 2008 में आई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने हमें आंशिक रूप से प्रभावित किया है। जिसके चलते हमारे देश की औद्योगिक विकास की गति में एक ब्रेक लगा। कोर औद्योगिक क्षेत्र के सुस्त पड़ने से बैंकों में एनपीए बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक बदस्तूर जारी है। बेशक औद्योगिक क्षेत्र में बैंकों का एक बड़ा एनपीए फसा हुआ है परंतु सेवा और प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) में बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज की एक भारी भरकम रकम फसी हुई है। आज कृषि क्षेत्र में लगभग कुल आबंटित ऋण का 7 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 6 प्रतिशत से अधिक एनपीए है।

वैश्विक स्तर पर हम अगर बैंकिंग इंडस्ट्री का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि एनपीए बैंकों का एक शाश्वत सत्य रहा है। खासकर सभी विकासशील अर्थव्यवस्था के बैंक एनपीए की समस्या से कमोबेश जूझते रहते हैं। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो इटली के बाद भारत ही ऐसा देश है कि जहां एनपीए का स्तर दोहरे अंक में पहुँच गया है। भारतीय बैंकों के फंसे हुए कुल कर्ज (11 लाख करोड़ रुपए लगभग) न्यूजीलैंड, केन्या, ओमान, सदृश विश्व के 150 देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। अन्य एशियाई देशों के परिप्रेक्ष में अगर देखें तो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए संकट अवश्य ही गंभीर है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में शुमार हो रही चीन के सहकारी बैंकों का एनपीए स्तर भी चिंताजनक स्थिति तक पहुँच गया है।

पिछली तिमाही के आंकड़ों को आप देखेंगें तो भारत में कुल आवंटित ऋण का लगभग 11 प्रतिशत एनपीए की श्रेणी में आ गया है। प्रमुख सरकारी बैंकों के वित्तीय नतीजे बताते हैं कि सरकारी बैंकों का मुनाफा डूब गया है। एनपीए को लेकर रिजर्व बैंक ने ठोस रणनीति पर अमल करते हुए पिछले साल से बैंकों की बैलेंस सीट साफ करने का अभियान शुरू किया। जिसके तहत बैंकों के फंसे हुए कर्जो के बदले बैंकों को अपनी कुछ राशि अलग से सुरक्षित (प्रॉविजनिंग) रखनी होती है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से प्रॉविजनिंग कम करके उसे एनपीए घोषित करने के निर्देश दिए है। इस फैसले से एनपीए घटना शुरू हुआ है लेकिन इसका तात्कालिक नतीजा यह है कि प्रमुख सरकारी बैंक घाटे के भंवर में घिर गए हैं। पिछले तिमाही में एक्का- दुक्का बैंक ही मुनाफा दिखा पाए हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का यह सफाई अभियान कुछ और समय तक चलने की उम्मीद है यानी बैंकों को फंसे हुए कर्जो के बदले और मुनाफा गंवाना होगा। लिहाजा, अगले कुछ तिमाहियों में बैंकों की हालत सुधरने वाली नहीं दिख रही है।

यू कहें कि हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था काफी सुदृढ़ है। बैंकिंग क्षेत्र को नियामक करने वाली संस्था (आरबीआई) बैंकों पर हमेशा बैंकिंग सुधार के लिए कार्यरत है। समय- समय पर बैंकों के सुचारु परिचालन संबंधी नीति एवं नियम (मोनेटरी पॉलिसी) ही नहीं बनाता है अपितु बैंकों का निरीक्षण करके उसके लेखा-बही पर भी निगरानी रखता है। बैंकों में एनपीए के बढ़ने के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग आधे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर (पीसीए) त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही के अंतर्गत रखा है। पीसीए लगाने के कारण उन बैंकों को काफी दिक्कत का सामना करना पर रहा है। उन बैंकों में ऋण आबंटित करने की क्षमता, शाखाओं के विस्तार, नए स्टाफ़ों की नियुक्ति आदि को नियंत्रित कर दिया गया है। जिसके कारण उन बैंकों को जोखिम पूंजी भार अनुपात (सीआरएआर) के मापदंड को पूरा करते हुए अधिकांश पूंजी अपने पास सुरक्षित रखनी पड़ रही है।

देश के कुल बैंकिंग व्यवसाय में लगभग दो तिहाई हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की है। परंतु कुल एनपीए का लगभग 90 प्रतिशत एनपीए सार्वजनिक क्षेत्र का फंसा हुआ है। जो एक चिंता का विषय है। चिंता इस कारण से भी बढ़ जाती है कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकों के फंसे कर्जो की

वापसी का प्रतिशत काफी गिर गया है। वर्ष 2016–17 में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपने कुल फंसे एनपीए का लगभग 41 प्रतिशत वसूल कर लिया गया था तो वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मात्र 20 प्रतिशत एनपीए हो गए ऋण की वसूली की जा सकी थी। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यह वसूली मात्र 2–3 प्रतिशत तक ही हो पाई थी। एनपीए प्रबंधन को लेकर किए जा रहे वैश्विक प्रयासों का भी अध्ययन जरूरी है। विश्व इनसाल्वेसी रैंकिंग (फंसे कर्ज की वसूली) में भारत का स्थान 100 देशों के बाद आता है। जापान पहले नंबर पर है जहां बैंकों के कुल फंसे कर्ज का 90 प्रतिशत वसूल कर लिया जाता है। तो वही बैंकों के ऋण वसूली में लगने वाले समय के दृष्टिकोण से हम अगर देखें जो अमेरिका में जहां एक महीने में ऋण वसूली की प्रक्रिया खत्म कर ली जाती है तो वही भारत में 3–4 वर्ष औसतन लग जाता है।

इन सभी बातों के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं। जिसके अंतर्गत कई कानूनों में संशोधन एवं नए कानून पास किए। पहले से कार्यरत संस्थाओं लोक अदालत, ऋण वसूली प्राधिकरण (डीआरटी), राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण (एनसीएलटी) आदि को और अधिक सक्रिय करने जा रही है। आरबीआई ने अब डिफाल्टरों के नाम बैंकों से सार्वजनिक करने को कहा है। भारत सरकार इससे आगे बढ़ते हुए भगोड़ा आर्थिक कानून, 2018 संसद में पास करके वैसे डिफ़ाल्टरों को जो देश छोड़कर बाहर चले गए है उसकी संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान कर दिया है। साथ ही बैंकों द्वारा आंतरिक रूप से भी एनपीए न बढ़े इसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे है। अपने बैंक द्वारा प्रत्येक महीने एसएमए खाते की लिस्ट निकालकर नियमित किश्त नहीं खातों की मोनेटरिंग की जा रही है।

पिछली तिमाहियों में कर्ज की मांग घटकर 11 प्रतिशत के आसपास आ गई जो सबूत है कि बैंकों को नया कारोबार नहीं मिल रहा है। बैंकों में जमा (कासा) की वृद्धि दर पांच दशक के न्यूनतम स्तर (6.6 प्रतिशत) पर है। एनपीए के कारण बैंकिंग उद्योग की पूंजी आधार सिकुड़ गया है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में पेमेंट बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़सी) आदि के खुलने के बाद बैंकों के लिए प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है। भारत सरकार के द्वारा वित्तीय समावेश की पहल को और गति देते हुए अब तो पोस्ट ऑफिस को भी वित्तीय कारोबार करने हेतु अधिकृत कर दिया है। जिससे आने वाले समय में बैंकों में जमा पूंजी की वृद्धि दर में निश्चित रूप से कमी आएगी। एक तरफ एनपीए बढ़ाने और कुछ बैंकों पर पीसीए लगने के कारण बैंकों द्वारा ऋण आबंटन की गति को एक ब्रेक लगा है। इस अवसर का फायदा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़सी) उठा रहे हैं। भारत में कार्यरत एक गैर सरकारी रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) की माने तो देश में एनबीएफ़सी संस्थाओं का कारोबार 30–35 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि से बढ़ रहा है। साथ ही इनके द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को दिए जा रहे ऋण में वार्षिक रूप से 22–23 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। बैंकों के एनपीए बढ़ने के बाद उत्पन्न हालात के मद्देनजर बैंकों को खासकर एमएसएमई और कॉर्पोरेट क्षेत्र को ऋण आबंटित करने में बाधा आ रही है। ऐसी स्थिति में कॉर्पोरेट हाउस तो अपना आईपीओ निकालकर पूंजी का प्रवाह कर सकते हैं परंतु एमएसएमई क्षेत्र अपने यहाँ नगदी की आपूर्ति हेतु एनबीएफ़सी के पास जा रही है। जिसके कारण आने वाले समय में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक सशक्त चुनौती मिलने वाली है। इस चुनौती से निपटने एवं एनपीए प्रबंधन हेतु हमें खुदरा ऋण की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अपने बैंक की स्थिति कमोबेश बेहतर है इसके पीछे यही कारण है कि हमने पिछले कुछ वर्षों में बिग टिकट ऋण के बजाए खुदरा ऋण आबंटित करने पर विशेष ध्यान दिया है। वैसे प्राथमिक क्षेत्र के लिए आरबीआई ने कुल आबंटित ऋण का न्यूनतम 40 प्रतिशत ऋण आबंटित करने की बाध्यता रखी हुई है। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र पर तो हमारा फोकस रहता ही है। हमें विशेष रूप से खुदरा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र एवं एमएसएमई क्षेत्रों पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है। जिससे हम आने वाले समय में बढ़ते एनपीए पर लगाम लगा पाएंगे। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्व विश्वास है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इन सभी तात्कालिक चुनौतियों से सफलतापूर्वक लड़ने में सक्षम हैं। आने वाला समय बैंकिंग क्षेत्र के लिए चुनौतियों के साथ-साथ अनंत संभावनाओं का भी है ।

जैसा कि हम सभी को पता है कि तीन महीने अर्थात 90 दिनों के भीतर बैंक द्वारा आबंटित किसी ऋण पर मूलधन अथवा ब्याज की अदायगी संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा अदा नहीं की जाती है तो वह ऋण एनपीए की श्रेणी में आ जाता है। प्राथमिक क्षेत्र खासकर कृषि कार्य हेतु आबंटित ऋणों के लिए अभी भी एक फसल से दूसरे फसल के आने में लगने वाली सामान्य अवधि (छः महिना) ही रखी गई है। आरबीआई के निर्देशों पर अनुपालन करते हुए बैंकों द्वारा एनपीए निर्धारण की यह विधि वर्ष 2014 के बाद प्रयुक्त होनी थी। जिसे लगभग सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अपने बैंक द्वारा इसे पिछले दो तिमाही से लागू किया जा रहा है जिसके द्वारा पहले से चल रही विधि जिसमें तिमाही आधार पर एनपीए निर्धारण किया जाता रहा है, उसकी जगह अब प्रत्येक महीने एनपीए घोषित किया जाने लगा है।

महाप्रबंधक, अग्रिम विभाग

हिंदी दिवस : हिंदी के लिए एक ही दिन क्यों?

संजीव श्रीवास्तव

हम मनुष्यों ने सभ्यता के विकास में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल किया है। भाषा का विकास भी इन्हीं उपलब्धियो में से एक है। भाषा को सरल शब्दों में परिभाषित करें तो यह अभिव्यक्ति का सबसे सरल एवं सशक्त माध्यम है। प्रत्येक जन - समुदाय की एक विशिष्ट भाषा होती है। वह अपनी अमूर्त वैचारिकी को इस विशिष्ट भाषा के द्वारा अनावृत करता है। जैसे- जैसे समाज और उसकी भाषा का साहचर्य बढ़ता चला जाता है, दोनों एक दूसरे का पर्याय बनते चले जाते हैं। हमारा हिंदुस्तान और यहां की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा 'हिंदी' के मध्य भी कुछ ऐसा ही संबंध हैं। भारत के इतिहास में भिन्न- भिन्न कालखण्डों में अलग- अलग भाषाओं ने प्रमुखता प्राप्त की। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधी, ब्रज, आदि भाषाओं ने अपने काल में जहाँ एक तरफ राजाश्रित कवियों के पाण्डित्य का प्रदर्शन किया वहीं दूसरी ओर जन कवियों की कल्पना को साकार कर जनाकांक्षाओं को स्वर दिया। हिंदी भी एक ऐसी ही जनभाषा है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में 'एक राष्ट्र- एक आंदोलन' की चेतना विकसित करने में हिंदी की भूमिका उल्लेखनीय रही है। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओ ने संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के सामर्थ्य को भांप लिया था और इसलिए वो हिंदी का प्रयोग प्रमुखता से करने लगे थे। भारत में आधुनिकता के अग्रदूत बांग्लाभाषी राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्रिका 'अग्रदूत' को सफलतापूर्वक हिंदी में प्रकाशित किया। स्वाधीनता आंदोलन में शहीदों की शौर्य गाथा- 'वंदे मातरम्' के लेखक बंकिमचंद्र ने 'बंग दर्शन' नामक ग्रंथ में हिंदी के महत्व को पहचानते हुए लिखा कि- ''हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में बिखरे हुए लोग जो एक्य-बंधन स्थापित कर सकेंगे, वास्तव में वे ही भारतीय कहलाने योग्य हैं''। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी की संभावित विराट भूमिका के प्रति सभी नेताओं का नजरिया एक जैसा ही था। मराठी भाषी बालगंगाधर तिलक हों, गुजराती भाषी महात्मा गांधी हो, बांग्ला भाषी सुभाषचंद्र बोस हो, तमिल भाषी सी. गोपालाचारी हो या हिंदी भाषी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद हो, इन सब ने सार्वजनिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी ने तो स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि जो भी व्यक्ति स्वतंत्रता संघर्ष में सम्मिलित होने के लिए उनके पास आए वो पहले हिंदी सीख कर आए। ''अंग्रेजों भारत छोड़ो'', ''दिल्ली चलो'', ''करो या मरो'', जैसे बहुचर्चित नारों की लोकप्रियता ने हिंदी की लोकप्रियता पर मानो मोहर- सी लगा दी। अतः इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, एकता के सूत्र में बांधने में, हिंदी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इस प्रकार, हिंदी की राष्ट्रीय जरूरत, पहचान और स्वरुप को हम स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित कर सकते हैं।

सन 1947 में भारत को आजादी मिल चुकी थी। राष्ट्रीय नेताओं को जनाकांक्षाओं के अनुरूप भारत को संवारना था, तैयार करना था। जिन अनेक मसलों पर संविधान सभा ने गंभीर विचार-विमर्श किया, उनमें एक भाषा का भी प्रश्न था। यह जानते हुए कि किसी देश की भाषा अभिव्यक्ति की महज एक माध्यम भर नहीं होती बल्कि वह देश का गौरव, अभिमान और पहचान भी होती है, संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रुप में हिंदी को स्वीकार किया। आज हम सभी इस ऐतिहासिक दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। स्कूल, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में बड़े जोर-शोर से 14 सितंबर का दिन राजभाषा हिंदी को समर्पित किया जाता है। हिंदी की दशा व दिशा को लेकर बड़े- बड़े व्याख्यान दिए जाते हैं। हिंदी के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। समेकित रूप से यह कहा जा सकता है कि 14 सितंबर को हिंदी न सिर्फ राजभाषा बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में दिखती हुई प्रतीत होती है।

अपने कार्यालयीन जीवन में मैं अनेक बार हिंदी दिवस का साक्षी रहा हूँ, कभी प्रतिभागी के तौर पर तो कभी आयोजनकर्ता के तौर पर। हिंदी दिवस को लेकर कुछ प्रश्न सदा ही मेरे ज़हन में उठते रहे हैं। मसलन, क्या ब्रिटेन या अमरीका में अंग्रेजी दिवस मनाया जाता है? क्या फ्रांस में फ्रेंच दिवस मनाया जाता है और अगर नहीं तो हमारे देश में हिंदी दिवस को मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हिंदी दिवस के अलावा हम अपनी भाषा हिंदी को लेकर कब और कितना उत्साह दिखा पाते हैं? क्या ये सच नहीं है कि जिस बहस, विचार-विमर्श और उत्साह को पूरे वर्ष भर होना चाहिए वह सिर्फ हिंदी दिवस के दिन ही सिमट कर रह गया है? इन सवालातों ने मुझ जैसे अनेक हिंदी प्रेमियों को परेशान किया होगा।

हिंदी आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। भारत में तकरीबन 80 करोड़ लोग हिंदी को अच्छे से बोल-समझ सकते हैं। आज भारत के दस राज्यों में राजभाषा के रुप में हिंदी को मान्य किया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा आबादी समूह है जिसे प्रख्यात समालोचक डॉ. रामविलास शर्मा 'हिंदी जाति' की संज्ञा देते हैं। अन्य राज्यों में भी हिंदी को भली-भांति समझा जाता है। सच पूछा जाए तो भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए कोई एक भाषा अगर संपर्क भाषा के तौर पर प्रयुक्त हो सकती है तो वो हिंदी ही है। लेकिन यह कहना दुखद है कि हिंदी को उसका यथोचित स्थान व सम्मान अब तक नहीं मिल पाया है। हम सब ने हिंदी से लिया बहुत कुछ, पर दिया बहुत कम। उदाहरण के तौर पर बॉलीवुड के कलाकारों को ही लें। जिस हिंदी भाषी सिनेमा के बल पर इन अदाकारों को काम, पैसा और पहचान मिलती है वो सार्वजनिक रूप से हिंदी की बजाए अंग्रेजी ही बोलते हैं या ऐसी हिंदी बोलते हैं कि उसमें हिंदी के शब्दों को ढूंढ़ना पड़ता है। ट्रेन, बस, मेट्रो आदि जगहों पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जो भी थोड़ा सभ्रांत, पढ़ा-लिखा दिखता है वो औरों से अंग्रेजी में ही बात करता है या फिर अगर हिंदी में बात करे भी तो अपनी अंग्रेजी ज्ञान का प्रदर्शन अवश्य ही करता है। हम अपने समाज में कितने ही अभिभावकों को यह कहते सुनते हैं कि हमारे बच्चे की हिंदी अच्छी नहीं है जी! जो पूछना है इंगलिश में पूछें। मन को खेद तब ज्यादा पहुंचता है जब वो इसे एक गौरव-भाव के साथ कहते हैं। इन बच्चों को हिंदी आएगी भी कैसे जब उनके बड़े ही उन्हें हिंदी के शब्द नहीं बताएंगे। अभिभावक अपने बच्चों को अब 'कुत्ता' नहीं सिर्फ dog बताते हैं, 'उनासी' और 'नवासी' नहीं सिर्फ seventy nine (79) और eighty nine (89) बताते हैं। संभवतः पूरे

आओं एक साथ मिलकर मुहिम चलाएं, आज ही से हिंदी भाषा अपनाएं।

विश्व में भारत अकेला ऐसा देश होगा जहां की बहुसंख्यक आबादी को उसकी भाषा को अपनाने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। आज भारत में कई ऐसे पब्लिक स्कूल हैं जिनके प्रांगण में हमारे अपने लोगों की मातृभाषा हिंदी को बोलने पर दंडित करने तक का प्रावधान है। देश के भविष्य की नींव जब अपनी भाषा को निम्नतर मानते हुए तैयार हो रही है तो वो अपनी भाषा के प्रति कितना लगाव एवं गौरव रख पाएगी, यह सहज ही समझा जा सकता है। जैसाकि हमने पूर्व में ही कहा है, भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति नही होती। वह व्यक्ति-समुदाय-राष्ट्र की पहचान और उसका स्वाभिमान भी होती है। इसलिए अगर राष्ट्र का सम्मान और पहचान को बनाए रखना है तो राष्ट्र की अपनी भाषा को भी बचाए रखना होगा, उसकी प्रासंगिकता और गौरव को बनाए रखना होगा।

आजादी के 71 वर्ष के बाद भी हमारे देश से गरीबी और भुखमरी को खत्म नहीं किया जा सका है। प्रत्येक वर्ष पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बड़ी-बड़ी सरकारी योजनाओं को चलाने के बावजूद भी आशानुरूप सफलता नहीं मिल पायी है। अंत्योदय का सपना अब तक साकार नहीं हो पाया है। देश की बड़ी, बहुत बड़ी आबादी को 'न्यू इंडिया' की वैचारिकी में शामिल किया जाना अभी शेष है। अगर इन सवालातों से ईमानदारीपूर्वक जूझते हैं तो हम पाएंगे कि अपने देश की भाषा के स्थान पर किसी विदेशी भाषा को तरजीह देना इन अवांछनीय स्थितियों के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। आज देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं में भी अंग्रेजी माध्यम के छात्र ही सफल हो पाते हैं और हिंदी माध्यम के छात्र स्तरीय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। नतीजतन हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को तरजीह देने वाला समूह ही देश की नीति निर्धारक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। हिंदी को जानने-मानने और अपनाने वाले लोग सिर्फ भाषागत विभेद के कारण अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं और ये भाषागत विभेद सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी मातृ भाषा में लिखना-पढ़ना चाहते थे। अतः यह सहज ही देखा जा सकता है कि विद्यालय के स्तर से, विश्वविद्यालय तक और फिर नौकरी के ऊंचे स्तर तक हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, उसे किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। सर्वांगीण और सतत विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए अगर हम सच में गंभीर हैं तो हिंदी समेत भारत की सभी स्थानीय भाषाओं को उनका यथोचित स्थान देना होगा। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ने से भारत की अन्य स्थानीय भाषाओं को नुकसान होगा, उन्हे बोलने वालों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होगा। सच पूछा जाए तो भारत के स्थानीय भाषाओं को बोलने-अपनाने वालों के मध्य किसी तरह की एकता स्थापित न हो पाए, इसी उद्देश्य से यह दुश्प्रचार किया गया है। भाषायी विविधता के कारण तनाव है नहीं, उसे अन्य कारणों से पैदा किया जा रहा है। उदाहरणस्वरूप हम विश्व के सबसे बड़े देश रुस को देख सकते हैं। रुस में भाषायी विविधता बहुत है। वहां 66 भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु सभी लोगों ने राष्ट्रभाषा के रूप में एकमत से रूसी भाषा को स्वीकार किया। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि रूस में ऐसा हो सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? अगर हम ध्यान से भारत की भाषाओं को देखे तो पाएंगे हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्द और अन्य भाषाओं में हिंदी के शब्द इस तरह से घुल-मिल गए हैं कि इन शब्दों को अब विभेद नही किया जा सकता। भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सभी स्थानीय भाषाओं में भी एकता बेहद जरूरी है और इस एकता की धूरी हमारी हिंदी ही हो सकती है। हिंदी समेत अन्य सभी स्थानीय भाषाओं के साथ जिस प्रकार भेदभाव किया जा रहा है, उसे समाप्त करने के लिए जन-जागृति की आवश्यकता है। बड़े-बड़े लेखकों, बुद्धिजीवियों, उद्योगपतियों तथा समाज के अन्य प्रमुख तबकों को हिंदी के करीब लाने का प्रयास करना होगा। सार्वजनिक तौर पर अगर ये लोग हिंदी का उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर सामान्य जनता पर इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विश्वविद्यालयों में सभी विषयों की पढ़ाई, पाठ्यपुस्तक, सेमिनारों व संगोष्ठियों की चर्चा अनिवार्य रुप से हिंदी में भी होनी चाहिए। उच्च स्तरीय समेत सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी माध्यम से चयनित प्रतिभागियों की संख्या पर बराबर ध्यान रखनी चाहिए और अगर यह आशानुरूप न हो तो आशानुरुप करने के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए। शोध एवं विकास(रिसर्च एण्ड डेवलेपमेंट) क्षेत्र में हिंदी भाषा की भूमिका अनुवाद की भाषा न रहकर शोध की मूल भाषा के रूप में होना होगा। यद्यपि शब्दकोश की दृष्टि से इसमें कठिनाइयां आएंगी, तथापि चुनौतियों को स्वीकार कर, उसका समाधान कर के ही हमारी हिंदी और समृद्ध हो सकती है। शब्दकोश का निर्माण संविधान में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

और सबसे अंत में हमारी - आपकी मानसिकता के बारे में। हिंदी को उसका वास्तविक स्थान नहीं दे पाने में सबसे बड़े अवरोधक वो नहीं हैं जो गैर- हिंदी भाषी हैं, बल्कि वो है जिनकी मातृभाषा तो हिंदी है परंतु जिनकी आत्मा में हिंदी नहीं है। हिंदी आती है, बोल-लिख सकते हैं परंतु दूसरे से बात करेंगे अंग्रेजी में, भले ही दूसरा व्यक्ति भी हिंदी भाषी ही क्यों न हो। मुद्दा यहां अंग्रेजी में बात करने का नहीं है। अंगेजी भाषा का सम्मान भी उसी तरह होना चाहिए जैसा किसी अन्य भाषा का होनी चाहिए क्योंकि भाषा जानना एक कला है और कला की कद्र निश्चित ही होनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा एक वैश्विक भाषा है और आज विश्व में भारतीयों के बढ़ते मान-सम्मान में उनके अंग्रेजी पर होते अधिकार का भी एक अहम योगदान है। परंतु इस दृश्य का एक दुखद पहलू यह है कि अंग्रेजी हमारी ज़बान से होती हुई आत्मा में भी घर कर गई है। यहां प्रसिद्ध आलोचक प्रो. नामवर सिंह का यह कथन याद हो आता है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर पर लकवा का प्रकोप होता है तो सबसे पहले उसका असर ज़बान पर देखने को मिलता है। उसी प्रकार जब किसी संस्कृति या समाज को नुकसान पहुंचाना होता है तो सबसे पहले उसके ज़बान पर सुनियोजित हमला किया जाता है। भारतवर्ष में भी यही हो रहा है। प्रो.नामवर सिंह की यह बात बेहद गूढ़ संदर्भों की ओर संकेत करती है। हमें भारत और भारतीयता को बचाना है तो अपनी ज़बान पर भी भारत की भाषा हिंदी को रखना होगा। जितना संभव हो सके उतनी भाषाएं सीखें, परंतु आत्मा में सदैव हिंदी ही होनी चाहिए। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि भारत की आत्मा हिंदी में बसती है, भारतीय दिलों की धड़कन हिंदी में स्पंदित होती है और भारतीय संस्कृति की वास्तविक अभिव्यक्ति हिंदी में ही व्यंजित होती है, उस दिन हम सब की हिंदी स्वतः ही राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त कर लेगी। बस! जरुरत है हमें अपनी मानसिकता बदलने की। आइए, ऐसा प्रण करें कि सिर्फ 14 सितंबर ही नहीं बल्कि साल का हर दिन हिंदी के प्रति समर्पित रहे और इसकी शुरुआत हम इस वर्ष के हिंदी दिवस से ही करें। आप सब को हिंदी दिवस की अनेकानेक बधाईयां!

उप महाप्रबंधक (राजभाषा)

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी बैठक के कार्यवृत्त

बैंकों/बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं/विनियामकों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए दिनांक 06.07.2018 को संयुक्त सचिव(बीकेएस) की अध्यक्षता में तृतीय समीक्षा बैठक का आयोजन भारतीय स्टेट बैंक के तत्वावधान में पटना में किया गया। इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वरिष्ठतम अधिकारी उपस्थित थे। हमारे बैंक से श्री संजीव श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी, श्री कुलदीप सिंह खुराना, मुख्य प्रबंधक एवं प्रभारी (राजभाषा) तथा श्री संतोष सावंत, सहायक महाप्रबंधक (सू.प्रौ.) ने इस बैठक में भाग लिया।

बैठक के उद्घाटन सत्र का संचालन करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री ओम प्रकाश तिवारी ने राजभाषा हिंदी के विकास और बिहार के स्वर्णिम इतिहास पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री संदीप तिवारी ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं बैंकों/बीमा कंपनियों/ वित्तीय संस्थाओं/ विनियामकों से आए सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं सभी की संवैधानिक तथा व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में राजभाषा हिंदी की महत्ता को रेखांकित किया।

इसके पश्चात् संयुक्त सचिव(बीकेएस) ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में स्पष्ट तौर पर कहा कि हिंदी राजभाषा के साथ-साथ संपर्क भाषा भी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बैंकों/बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं/विनियामकों के वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं मूल रूप से हिंदी में कार्य करना होगा तभी अन्य स्टाफ सदस्य भी हिंदी में कार्य करने को प्रेरित होंगे। सरकार की समाज कल्याणकारी योजनाओं की सफलता में भी हिंदी की महत्ता पर प्रकाश डाला।

इस बैठक के उद्घाटन सत्र के विशेष अतिथि श्री दीप कुमार कपूर, महाप्रबंधक (राजभाषा और कॉरपोरेट सेवाएं), भारतीय स्टेट बैंक ने भी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने समीक्षा बैठक की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि इस समीक्षा के माध्यम से बैंकों/बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं/विनियामकों मे राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से होगा। इसके बाद पिछली बैठक में लिए गए निर्णयानुसार सभी संस्थाओं के वरिष्ठतम राजभाषा अधिकारियों के अपने-अपने व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर प्रस्तुत किए गए आलेखों के संकलन 'राजभाषा कार्यान्वयन अनुभव एवं उपलब्धियां' नामक पुस्तक का संयुक्त सचिव(बीकेएस) महोदय के कर कमलों से विमोचन किया गया।

इसके पश्चात् श्री शैलेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक(राजभाषा) वित्तीय सेवाएं विभाग ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्रवाई शुरु की तथा सर्वप्रथम सर्वसम्मति से पिछली बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गई। उन्होंने कहा कि जिन कार्यालयों की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं उन्हें इस समीक्षा में शामिल नहीं किया गया है तथा सभी कार्यालय समय पर रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तिमाही प्रगति रिपोर्ट की विभिन्न मदों के संबंध में आरबीआई/बैंकों/बीमा कंपनियों/ वित्तीय संस्थाओं/ के साथ साथ भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा 31 दिसंबर, 2017 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के संबंध में प्रस्तुत किए गए आकड़ों का मदवार विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। तिमाही प्रगति रिपोर्ट की मदवार समीक्षा के दौरान अध्यक्ष महोदय के द्वारा विभिन्न मदों पर टिप्पणियां भी की गईं। इस बैठक में मूल रूप से फिनेकल में अथवा बैंक के रिकॉर्ड को हिंदी/क्षेत्रीय भाषाओं में रखने और विकसित करने हेतु विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है।

बैठक में सहभागिता करते हुए हमारे बैंक के उप महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव तथा श्री कुलदीप सिंह खुराना पूर्व प्रभारी राजभाषा विभाग।

अंत में कुछ बैंकों/बीमा कंपनियों/ वित्तीय संस्थाओं की गृह पत्रिकाओं आदि का अध्यक्ष महोदय के कर कमलों से विमोचन किया गया और बाद में सहायक निदेशक(रा.भा) द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी उपस्थित अधिकारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

सारे जात-पात बंधन तोड़े, हिंदी भाषा सारे देश को जोड़े।

नराकास उपलब्धियाँ

राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन हेतु बैंक की राजकोट शाखा को बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजकोट द्वारा वर्ष 2017–18 का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) सूरत द्वारा हमारे बैंक की रिंग रोड शाखा, सूरत को राजभाषा शील्ड (द्वितीय पुरस्कार) प्रदान की गई।

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पटना द्वारा हमारे बैंक की फ्रेजर रोड पटना शाखा को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। चित्र में शाखा प्रबंधक शील्ड के साथ।

प्रधान कार्यालय स्तर पर आयोजित शहीदों के सरताज श्री गुरू अरजन देव जी के

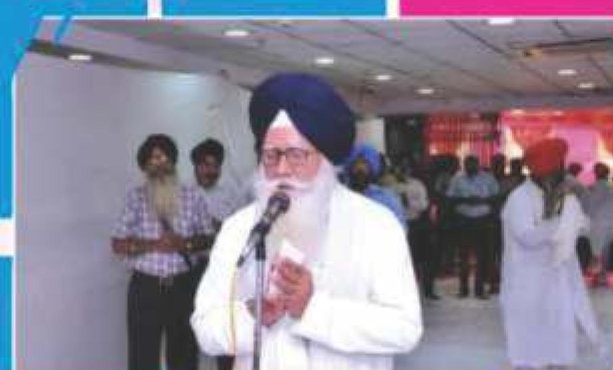

शहीदी गुरूपर्व पर कीर्त्तन तथा छबील एवं लंगर का आयोजन किया गया।

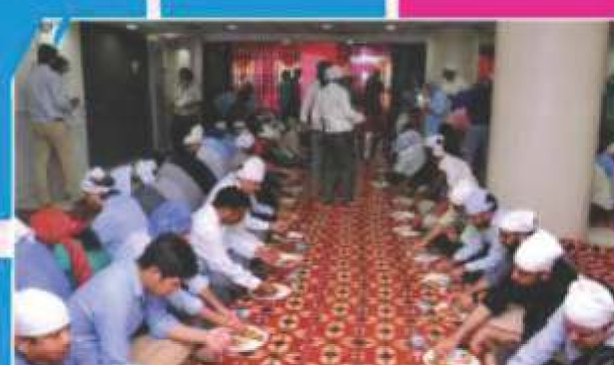

हिंदी पखवाड़े में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं की झलकियाँ

काव्य पाठ प्रतियोगिता

गीत गायन प्रतियोगिता

हिंदी दिवस पर आयोजित प्रश्नमंच की झलकियाँ

निरीक्षण

श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) द्वारा शाखा भिवाड़ी का निरीक्षण किया गया। साथ हैं राजभाषा अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार मीणा तथा शाखा प्रबंधक : भिवाड़ी

काव्य

बिन्दु

वक्त के साथ साथ बदलते चेहरे,
रास्ते, गली और मोहल्ले,
अब आदत सी बन गए हैं
मैं कितना भी चाहूं तो भी छू नहीं पाता हूँ
गुजरते पलों को, धरती के छोरों को-

छू लेते हैं- उड़ते बादल,
पंछी और सूरज की धूप,
इन सबको, लेकिन -
मैं बस ताकता रह जाता हूं,
अनछुए पलों को, अनजान रास्तों को,
अनजान चेहरों को,

ज़िन्दगी की जद्दोजहद में,
मैं घोंगे सा सुस्त हो,
मीलों चलता हूं- लेकिन,
पृथ्वी की अंतहीन परिधि को,
आज भी अनजाना, अनछुआ,
और अंतहीन पाता हूं।

मैं ब्रह्म और ब्रह्मान्ड के बीच बैठा,
एक बिन्दु हूं -
जो अपने अस्तित्व से अनभिज्ञ हुआ,
ब्रह्मांड को पाना चाहता हूं...

उम्मीदें

कैप्टन प्रकाश चन्द्र

कल्पना, इच्छा, और मन की बातें,
किसकी सुनूं, किसकी मानूं,
चाहत, मुराद और मीठी यादें,
किसको पूछुं, किसको जानूं,
मैं हर रोज अपने सपने संजोए,
नीदों के शहर से गुजरता हूँ,
जहाँ मेरी नन्हीं कल्पनाएं,
छोटी-छोटी इच्छाएं,
अनेकों चाहत बन कर सोई हैं,
मैं हर रोज उन्हें छू कर देखता हूं,
वे हर रोज बढ़ती जाती हैं,
हर रोज झरने से नदी और दरिया में
तबदील होती जाती हैं,
इनके बढ़ते स्वरूप को देख,
मन भयभीत हो जाता है-
और मैं अपनी अभावहीनता से,
विवश हो कर अपने दिवास्वप्नों को,
अपनी यादों के झोले में डाल,
चल देता हूँ- दिशाहीन, बेबस और लाचार. . .
नई कल्पनाओं - इच्छाओं के साथ ,
इस उम्मीद में कि शायद-
कभी तो कोई कल्पना आस बन कर पनपेगी,
कोई उम्मीद जगेगी, और मेरी
नन्हीं - नन्हीं इच्छाओं के अंकुर फूटेंगे,
मेरी चाहतों के सब्ज़बाग सजेंगे,
और मैं खुश हो - आशावान हो,
उम्मीदों के साथ जी सकूंगा ।

प्रधान कार्यालय, जनसंपर्क विभाग

मंजूषा

उमंग भरी उड़ान

सोनी कुमार डेहरिया

फिर एक नया आगाज़ होने वाला है,
मेरा "पीएसबी" फिर से ऊँचाईयों को को छूने वाला है,
एक नई करवट समय ने ली है,
ग्राहक की नब्ज़ शायद जान ली है,
पुरजोर कोशिश में है हम बैंकिंग के आमूल परिवर्तन को,
ताकि छू सकें हम सफलता के क्षितिज को।।
आराम को छोड़ अब परिश्रम की बारी है,
चुनौतियों की दौड़ और श्रेष्ठता की होड़ में,
सबसे आगे निकलने की तैयारी है,
मिलकर सब प्रयास करें अगर हम तो,
हर सफलता, हर मंजिल हमारी है,
सब जानते तो हैं कि मज़बूत इरादों के आगे,
बार-बार हर मुश्किल, हर कठिनाई हारी है।।
थोड़ी सी मशक्कत हम सब को करनी है,
बस ये भावना मन में भरनी है,
देना है सबको थोड़ा-सा योगदान सुझावों का और,
थोड़ी- थोड़ी मेहनत हम सब को करनी है,
गंभीरता से समझे सभी सटाफ हमारा,
क्या है कर्त्तव्य और क्या उत्तरदायित्व हमारा,
हीन भावना न होगी मन में किसी तरह की,
जब भरपूर होगा मन आत्मविश्वसा से और,
होगा हमारे पास बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं से भरा पिटारा।।
सीमित न रखें हम अपनी पहचान को,
बढ़ाएं इस कदर अपने अनुभव और ज्ञान को,
"पंजाब एण्ड सिंध बैंक" का नाम तो रोशन करें ही,
व्यक्तिगत तौर पर ही हम छू लें आसमान को,
फिर कौन है जो हमें आगे आने से रोकेगा?
फिर तो हर कोई हमें टकटकी लगाकर देखेगा।
हर कोई जानने को उत्सुक होगा,
हमारी सफलता के मूल-मंत्र को,
फिर हम भी उतसाहपूर्वक कहेंगे,
हम भी कभी ऐसे ही उत्सुक थे, आगे आने को,
"डेहरिया" फिर हम अपने अलग अंदाज़ में बताएंगे,
कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है हासिल करने को, और हम फिर
से तैयार हैं चुनौतियों से टकराने,
और खुद को आज़माने को,
क्योंकि रुकना हमारी मंजिल नहीं।।

आँचलिक कार्यालय करनाल

इन्सान हैं हम न जाने क्यों?

अमरजीत सिंह भाटिया

समझकर भी नासमझ हैं हम
जान बूझकर गलती करते हैं हम?
कभी इसका, तो कभी उसका
दिल दुखाते है हम

कभी जाने तो कभी अनजाने में
क्यूं किसीको ठोस पहुंचाते हैं
क्या हक है, यह हमें
ताना देकर, ज़हर फैलाना

एक दूसरे के प्रति जलन की भावना
क्या यही है हमें नई पीढ़ी को सिखलाना?
जिसको देखो कहता मैं सही
गलती मैं करता कभी नहीं।

कौन गलत और कौन सही
उलझन हम यह सुलझाते नहीं।
सवाल पर सवाल उठाते है हम
जवाब कितने सही ढूंढते हैं हम?

चलो मान लो, गलती करते हैं हम
अब प्यार भावना का
दीप है हमें जलाना।

अच्छी सीख समाज को है सिखलाना।
फैलानी हैं किरणे इंसानियत की
है भरोसा और है हममें दम
क्योंकि हैवान नहीं इन्सान हैं हम।

सेवानिवृत्त पूर्व प्रबंधक

ग्राहक के मुख से....

सामाजिक उत्थान की परिभाषा के आधार पर यदि किसी बैंक को परिभाषित किया जाए तो मेरी नज़रों में निःसंदेह पंजाब एण्ड सिंध बैंक का नाम सर्वोपरि होगा। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ और समाज के जिस प्रतिष्ठित स्थान पर खड़ा हूँ, यह सब केवल पंजाब एण्ड सिंध बैंक की सहायता के फलस्वरूप ही संभव हो सका है। मैं और मेरा परिवार बैंक का जितना भी आभार व्यक्त करें कम ही होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मेसर्स रूद्र ट्रेडर्स के नाम से हमारी फर्म संचालित हो रही है जहाँ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स थोक दर पर बेचे जाते हैं। एक समय था जब मैं किसी अन्य व्यवसायी की दुकान पर दैनिक मजदूर के रूप में कार्य करता था। परिस्थितियाँ बड़ी विषम थी, अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए इच्छा शक्ति और कला-कौशल दोनों मेरे पास थे। सफल आर्थिक जीवन और मेरे स्वयं के बीच यदि कोई अवरोध था तो वह केवल पूँजी का अभाव था।

एक समय था जब मैं किसी अन्य व्यवसायी की दुकान पर दैनिक मजदूर के रूप में कार्य करता था। परिस्थितियाँ बड़ी विषम थी, अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए इच्छा शक्ति और कला-कौशल दोनों मेरे पास थे। सफल आर्थिक जीवन और मेरे स्वयं के बीच यदि कोई अवरोध था तो वह केवल पूँजी का अभाव था।

वर्ष 2011 में मेरे पास पूँजी के नाम पर केवल ₹ 60,000/- थे। जब अपना व्यवसाय प्रारंभ करने की लालसा हद से बढ़ गई तो मैंने दो वर्षों के दौरान तकरीबन तीन-चार बैंकों में ऋण के लिए आवेदन किया लेकिन किसी भी बैंक से ऋण सुविधा नहीं मिल सकी। वैसे तो मैं वर्ष 1993 से बैंक परिवार से जुड़ा हुआ हूँ लेकिन वर्ष 2013 में रायपुर के पंडरी क्लॉथ मार्केट में बैंक की एक और शाखा खुलने पर बैंक से मेरा जुड़ाव ज्यादा हो गया था। शायद ऋण के लिए मुझे शुरु से ही इस बैंक में जाना चाहिए था। शाखा पंडरी के तात्कालिक शाखा प्रबंधक को मैंने अपनी समस्या बतायी। शाखा प्रबंधक महोदय ने वहाँ मेरा एक चालू खाता खुलवाया। बचत खाते के बाद अब मैंने वर्ष 2013 में अपना चालू खाता बैंक में खुलवाया और ऋण लेने के लिए प्रक्रिया शुरु कर दी। ठीक छः माह बाद शाखा प्रबंधक महोदय का तबादला हो गया। मैं यह सोचकर निराश हो गया कि जो नए शाखा प्रबंधक आएंगे, ऋण देने की प्रक्रिया के प्रति क्या नजरिया रखते हैं। मेरी निराशा उस समय समाप्त हो गई जब नए शाखा प्रबंधक महोदय के पदभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के भीतर ही मुझे बैंक से ₹ 3,00,000/- का ऋण मिल गया। पूँजी के मिलते ही मेरे सपनों को पर लग गए और जल्द ही मेरी लिमिट ₹ 7.50 लाख रुपये की कर दी गई। अब बैंक से मुझे 10 लाख की सीसी लिमिट मिलने जा रही है। आर्थिक तरक्की हुई तो परिवार में भौतिक संसाधनों की भी आवश्यकता महसूस हुई और बैंक से ऋण लेकर मैंने मोटर साईकिल के साथ-साथ एक कार भी खरीद ली। अब मेरा व्यवसाय बहुत ही अच्छा चल रहा है और पूरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। व्यवसाय में सहायता के लिए मैंने दो अन्य व्यक्तियों को भी नौकरी पर रखा है। कहने के लिए तो मैंने उन दो लोगों के परिवार को रोजगार प्रदान किया है लेकिन इसके पीछे अप्रत्यक्ष रूप से बैंक ही है। मैं यह निःसंकोच कह सकता हूँ कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक केवल हमारा व्यवसायिक सहयोगी नही वरन हमारे उस बड़े भाई की भाँति है जो प्रत्येक समय अपने छोटे भाइयों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। व्यवसाय इतना बढ़ गया है कि मुझे कारोबार के सिलसिलें में अधिकतर बाहर रहना पड़ता है, जब बैंक के अधिकारी ने मुझे बैंक के साथ अपने अनुभव लिखने का अनुरोध किया तो उस समय भी कारोबार के सिलसिले में मैं शहर से बाहर ही था।

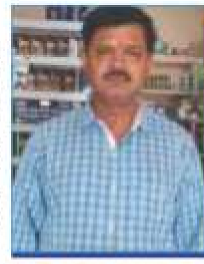
श्री ओम प्रकाश झा

एक बार फिर मैं और मेरा परिवार पंजाब एण्ड सिंध बैंक का आभार व्यक्त करते हैं जो निरंतर हमारे साथ खड़ा है और हमारी तरक्की का वास्तविक किरदार है।

सादर।

शाखा पंडरी, रायपुर (छत्तीसगढ़)

हिंदी भाषा को बढ़ावा दीजिए, राजभाषा का सम्मान कीजिए।

बैंक हाउस में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में उच्चाधिकारियों का स्वागत, तथा उनके आशीर्वचनों की झलकियाँ।

हिंदी पखवाड़े में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में देते हुए कार्यकारी निदेशक महोदय डॉ. फरीद अहमद

विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार तथा प्रमाण - पत्र जी तथा श्री गोविंद एन. डोंग्रे जी।

हिंदी/पंजाबी कार्यशाला

प्रधान कार्यालय

आँचलिक कार्यालय, दिल्ली-1

आँचलिक कार्यालय, गुरुग्राम

आँचलिक कार्यालय, गुरुग्राम

आँचलिक कार्यालय, भोपाल

आँचलिक कार्यालय, जयपुर

सहभागी

सहभागी

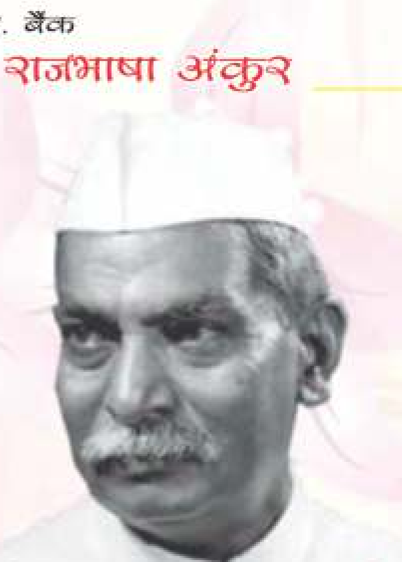

जिस देश को अपनी भाषा और अपने साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता।

देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

कार्टून कोना

प्रवीन कुमार : शाखा गुरु-का-ताल, आगरा

ज़रा सोचिए?

अदिती

रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाली थी इसलिए यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो गई थी। सामने वाली सीट पर बैठी एक महिला से बातचीत करने पर पता चला कि वे शासकीय माध्यमिक शाला में शिक्षक है। महिला यात्री ने कहा कि वैसे तो उन्हें नौकरी की आवश्यकता नहीं लेकिन जैसे ही उसे नौकरी में पूरे आठ साल हो जाएंगे, उनका वेतन उनके पति के वेतन के बराबर हो जाएगा। मैंने पूछा कि आपके पति क्या करते हैं। महिला यात्री ने बताया कि उनका पति सरकारी महकमे में किसी बड़े पद पर पदस्थ हैं। आश्चर्य व्यक्त करते हुए मैंने पूछा कि इतने बड़े पद पर होने के बाद भी आपके पति का वेतन बस इतना ही है, इससे अच्छी तो आपकी नौकरी है। महिला यात्री ने कहा कि उनके पति जिस पद पर हैं वेतन मायने नहीं रखता, ऊपरी कमाई ही इतनी होती है कि वेतन का पैसा पूरा बच जाता है।

एक तो शिक्षिका और ऊपर से गलत तरीके से अपने पति द्वारा अर्जित धन पर गर्व करना। मैनें कहा आप जिसे ऊपरी कमाई बता रही हैं वह भष्टाचार, रिश्वतखोरी और बेईमानी का पैसा है; मुझे नहीं पता कि शिक्षक के पद पर आपका चयन ठीक तरीके से किया गया है या नहीं लेकिन यदि एक शिक्षक ही इस तरह गलत तरीके से धनार्जन पर गर्व करती है तो पता नहीं छात्रों को क्या सिखाती होंगी? आपका पद अपने आप में प्रेरणा स्त्रोत और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित है। महिला के पास प्रत्युत्तर के लिए तर्कविहिन वाक्य के अतिरिक्त कुछ नहीं था।

आज बच्चों को आत्म-सम्मान, संतुष्टि और प्रतिष्ठा वाले नौकरी के स्थान पर उस नौकरी को तवज्जों देने की सीख दी जाती है जिसमें अतिरिक्त आय भी शामिल हो। एक अभिभावक और एक शिक्षक के रूप में कहीं हम भी अपने बच्चों के मन में अतिरिक्त आय वाली नौकरी करने की लालसा तो पैदा नहीं कर रहे हैं..........ज़रा सोचिए??

आँचलिक कार्यालय, भोपाल

सफरनामा

बात सन् 1980 की है जब हमारे बैंक में राजभाषा कक्ष की स्थापना हुई थी। पूरे बैंक में दो स्टाफ सदस्यों ने हिंदी में पीएचडी की हुई थी, डॉ. मलिक और डॉ. प्रताप सिंह। बैंक ने उन्हें पत्र डाल दिए कि आपको राजभाषा अधिकारी बना दिया गया है...... और इस प्रकार बैंक में हिंदी विभाग की शुरुआत योजना विभाग के एक कक्ष के रूप में हुई। इन दोनों अधिकारियों के ऊपर भारतीय रिज़र्व बैंक के एक सेवानिवृत्त अधिकारी श्री डी.सी. शर्मा को ऑफिसर ऑन स्पैशल ड्यूटी बनाया गया। मैं उन दिनों लिपिक वर्ग में था और हिंदी कक्ष के साथ वाली मेज़ पर बैठा करता था।

प्रसंगवश मैं आपको बताता चलूँ कि राजभाषा अधिकारी/ प्रबंधक/ वरिष्ठ प्रबंधक....... आदि के रूप में मुझे बैंक के लगभग सभी स्तरों के कार्यालयों यथा: ऑंचलिक कार्यालयों, स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों, बैंक के बोर्ड विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, तथा प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग में लिपिक से लेकर सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) तक के विभिन्न पदों पर काम करने का अवसर मिला। साथ ही भारत के 'क', 'ख', और 'ग' क्षेत्रों में स्थित विभिन्न कार्यालयों का भी मैंने बारीकी से राजभाषायी अध्ययन किया है।

राजभाषा विभाग के साथ बैठने के दिनों में ही आकाशवाणी के 'युववाणी' केंद्र से उद्घोषक के रूप में मेरे, फिल्मी गीतों के कार्यक्रमों 'महफिल' और 'मनपसंद' का प्रसारण हुआ करता था। बस, बैंक अधिकारियों को मेरा हिंदी बोलना पसंद आ गया और उन्होंने राजभाषा विभाग में काम करने के लिए मेरा चयन कर लिया।

उन दिनों संसदीय राजभाषा समितियों का चलन नया-नया था। मुझे याद है कि संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के लिए दिल्ली से एक मैटाडोर ले कर हमारे दो राजभाषा अधिकारी और हम दो लिपिक लखनऊ पहुँचे थे। संसदीय राजभाषा समिति के माननीय सदस्यों के लिए एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसमें 'क', 'ख', और 'ग' क्षेत्रों को दर्शाने के लिए पूरे भारत का मानचित्र, विभिन्न रंगों की लाइटों के माध्यम से सजाया गया था और वास्तव में लाल रंग के टीन के लैटर बॉक्स बनाए गए थे, बड़े और छोटे क्रमशः 'क', 'ख', और 'ग' क्षेत्रों के पत्राचार को दर्शाने के लिए। संसदीय राजभाषा समिति के माननीय सदस्यों द्वारा बैंक द्वारा किए गए बहुत ही बढ़िया तरीके से किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दिया गया था।

14 सितंबर 2017 को अपने बैंक के लिए 'क' क्षेत्र का 'प्रथम' राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पाने वाला दिन वास्तव में ऐतिहासिक दिन था। बैंक द्वारा यह उपलब्धि पहली बार हासिल की गई थी। दिल्ली के युववाणी केंद्र से वर्ष 1981–82 में फरमायशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम 'महफिल' और 'मनभावन' पेश करते समय मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी हिंदी ही मेरा जीवन हो जाएगी और चंडीगढ़ की मशहूर सांस्कृतिक संध्याओं में रफी साहब के गाने गाते हुए कभी नहीं सोचा था कि फिल्मी दुनिया के गीतकार हसरत जयपुरी के सामने 5 घंटों के पूरे कार्यक्रम के मंच संचालन का मौका भी मुझे मिलेगा। बस उसके बाद गृह-मंत्रालय, वित्त मंत्रालय सहित अनेक सम्मेलनों में वक्तव्य देने का अवसर मिला। बैंक की पत्रिका अंकुर को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय स्तर की शील्ड दिया जाना, निःसंदेह बैंक के लिए गौरवमयी क्षण होते हैं। यह समय भगवान का शुक्रिया कहने का है।

राजिंदर सिंह बेवली

आज राजभाषा विभाग में 35 वर्षों के काम करने के अनुभव के बाद मैंने महसूस किया है कि राजभाषा परिवार के सदस्यों ने, न केवल बैंक के स्टाफ सदस्यों को, बल्कि भारत के आमजन को भी हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व के प्रति जागरूक किया है जिसके लिए मैं बैंकिंग उद्योग के राजभाषा परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मन में कहीं न कहीं, किसी कोने में यह मलाल भी है कि राजभाषा का यह रथ जिस मुकाम तक पहुँचना चाहिए था, उससे अभी काफी दूर है।

सरकार ने कोशिशें कम कीं, यह कहना सरासर ग़लत होगा। मुझे याद है 1986 में राजभाषा अधिकारी बनने के बाद मुझे एक सप्ताह के अभिमुखी कार्यक्रम में भेजा गया था जहाँ हमें सही ढंग से प्रशिक्षित किया गया था। उन दिनों हम तीन दिवसीय हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया करते थे, जो काफी लाभप्रद सिद्ध हुआ करती थीं.... उन कार्यशालाओं में सैद्धांतिक प्रशिक्षण के साथ-साथ अभ्यास के लिए काफी समय रहता था जो मैं समझता हूँ कि स्टाफ के लिए काफी लाभदायक होता था। समय इतना तेज़ी से बदल रहा है कि इसकी गिरफ्त में हिंदी कार्यशालाएं भी आ गईं और अब ये कार्यशालाएं केवल एक दिन तक ही सिमट कर रह गई हैं, जिनसे अभ्यास को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता।

लेकिन ऐसा नहीं है कि राजभाषा ने रफ्तार पकड़ी ही नहीं है। वास्तव में तकनीक की गाड़ी की आगे बढ़ने की गति इतनी अधिक होती है कि राजभाषा को उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए नए नए साधनों का सहारा लेना पड़ता है और जैसे ही वे साधन हाथ में आते हैं तब तक तकनीक और आगे बढ़ चुकी होती है और राजभाषा एक बार फिर से अपने नए आयाम तलाशने में लग जाती है। जब तक ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा, तब तक राजभाषा परिवार की दौड़ जारी रहेगी। बैंकिंग को हिंदी अनुवाद का सहारा तब भी लेना पड़ता था और आज भी लेना पड़ रहा है। जब मैं 1986 में राजभाषा अधिकारी बना था तब भी अनुवाद किया करता था और एजीएम बनने के बाद बहुत आवश्यकता पड़ने पर आज भी अनुवाद करता हूँ।

राजभाषा अधिकारी के जीवन में प्रशिक्षण का अत्यधिक महत्व होता है। मैं भाग्यशाली हूँ कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने मुझे हर तरह से प्रशिक्षित होने का मौका दिया। भले ही प्रशिक्षण राजभाषा या अनुवाद से जुड़ा हो, अथवा मानव संसाधन से। एक दौर था जब मैं राजभाषा संबंधी कार्यो से कुछ थक-सा गया था, या यूँ कहूँ तो मुरझा-सा गया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि बाकी स्टाफ सदस्यों के कामों का दर्द तो विभागाध्यक्ष को होता है, किंतु राजभाषा अधिकारी के कामों से उन्हें कुछ लेना-देना नहीं होता। मुझे छोड़कर कोई स्टाफ सदस्य हिंदी में काम नहीं किया करता था और मैं नोट करता था कि विभागाध्यक्ष भी बड़े ही अनमने ढंग से हिंदी के पत्रों पर साइन किया करते थे। एक शून्य सा देखा करता था मैं अपने जीवन में।

बस.... जैसे भगवान ऊपर बैठे मेरी यह परेशानी समझ रहे थे। मुझे 'लीडरशिप डिवैलमैंट' की एक ट्रेनिंग पर भेजा गया, जहाँ से मुझे मेरे काम करने की नई प्रेरणा मिली। उसी प्रशिक्षण के दौरान मुझे एक नए प्रशिक्षण 'एमबीटीआई फॉर एक्सेलैंस' के लिए चयनित किया गया। इन दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मुझे राजभाषा अधिकारी के आइने में एक सफल नेता दिखाई देना शुरू हो गया और तब से अब तक मैंने अपने उन्हीं कामों को एक नए नज़रिए और नए उत्साह से देखना और करना शुरू कर दिया।

उन दिनों मैंने महसूस किया कि हमारे देश के लोग केवल हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने में ही आनाकानी करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो लोग हर अच्छे काम के लिए आनाकानी करते हैं। लोगों को सड़कों पर ढंग से चलने का, सार्वजनिक संपत्ति का अपनी संपत्ति की तरह ध्यान रखने का, स्वच्छता का, यातायात नियमों के पालन का, टैलीफोन पर बात ढंग से करने आदि का भी प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता पड़ती है तो फिर अपनी आदत के खिलाफ भाषा लागू करना तो बहुत ही बड़ा काम हो गया इनके लिए। विडंबना यह कि राजभाषा अधिकारी को इन्हीं लोगों को तो हिंदी संबंधी बात समझानी होती है जो चुनौतीपूर्ण होता है।

बस..... उक्त प्रशिक्षण काम आए और मैंने अपना 'व्यवहार विज्ञान' और 'मानव संसाधन' का पक्ष मज़बूत करना शुरू किया। साथ ही मुझे मौका मिल गया 'न्यूरो लिंगविस्टिक प्रोग्रामिंग' का अध्ययन करने का। इस अध्ययन से जीवन में व्यवहार विज्ञान के प्रति एक नई सोच पैदा हुई। साथ ही सिगमंड फ्रॉयड का मनोविज्ञान, डेल कारनेगी व अन्य अच्छे लेखकों की सकारात्मक सोच संबंधी पुस्तकें मैंने पढ़ीं। मैडिटेशन संबंधी थोड़ा जानने के बाद तो ऐसा लगा कि राजभाषा संबंधी बातें करने का आनंद ही कुछ और है। मैंने यह कोशिश की, कि यदि मानव संसाधन के विभिन्न विषयों को राजभाषा के साथ जोड़कर राजभाषा कार्यान्वयन किया जाए तो शायद उसका कहीं अधिक असर होता है। उन दिनों मैं देखता था और आज भी अनुभव करता हूँ कि कई वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी भी धारा 3(3), नियम 5, राजभाषा नीति(नियमों और अधिनियमों) से उठकर बात ही नहीं कर पाते। या एक दूसरे तरह के राजभाषा अधिकारी होते हैं जो बड़े बड़े साहित्याकारों की बड़ी बड़ी बातों से नीचे उतरते ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए किसी तीसरे ही नेत्र की आवश्यकता होती है। मेरा कहना यह नहीं है कि राजभाषा अधिकारी राजभाषा नियमों का ज्ञान नहीं होना चाहिए अथवा बड़े साहित्यकारों की बातें नहीं की जानी चाहिएं। लेकिन.... हाँ इतना मैं अवश्य कहूँगा कि राजभाषा अधिकारी यदि उक्त नियमों को अपने व्यवहार विज्ञान के गुणों के साथ प्रस्तुत करेगा तो निश्चित रूप से स्टाफ सदस्यों पर उसकी बात का कहीं अधिक असर होगा। मैंने तो हँसी मज़ाक में उससे भी कहीं अधिक किया है। मुझे एक्यूप्रेशर और योग विज्ञान का थोड़ा बहुत ज्ञान है और अक्सर मेरे पास विभिन्न विभागों के कुछेक स्टाफ सदस्य अपना उपचार करवाने आ भी जाया करते हैं। मैं एक बार चेन्नई गया.... पहली बार आँचलिक प्रबंधक महोदय को देखा था.... बहुत ही बढ़िया इन्सान थे, लेकिन उस दिन अपने कंधे की जकड़न से काफी परिशान थे। मैंने उन्हें एक्यूप्रेशर से उस दिन बहुत हद तक ठीक कर दिया। बैंक अधिकारियों को अक्सर ऐसी परेशानियाँ हो जाया करती हैं। सोचिए.... इतने दिनों से परेशान इन्सान को कितनी राहत मिली होगी। और चेन्नई जैसे शहर का वह राजभाषा संबंधी मेरा दौरा कहीं अधिक अच्छा रहा।

मुझे पूरा विश्वास है कि राजभाषा अधिकारी जितना दूसरों के लिए उपयोगी होगा, जितनी अपने कामों में नवीनता या रचनात्मकता लाएगा, जितना अधिक प्रत्येक स्टाफ सदस्य को अपना मित्र मानेगा... उनकी परिशानियों में उनका सहयोगी होगा.... उतना ही अधिक राजभाषा अधिकारी राजभाषा कार्यान्वयन में भी सफल होगा।

प्रायः राजभाषा सम्मेलनों में राजभाषा अधिकारियों के कामों की समीक्षा पर बहुत अधिक समय लगाया जाता है। वास्तव में राजभाषा अधिकारी को जितनी राजभाषा संबंधी ज्ञान की आवश्यकता होती है... उससे कहीं अधिक दूसरे गुणों की आवश्यकता होती है। इसलिए राजभाषा सम्मेलनों में समीक्षा के साथ-साथ राजभाषा अधिकारियों का व्यक्तित्व विकास किया जाना चाहिए। जैसे राजभाषा अधिकारी के लिए अच्छा वक्ता होना अनिवार्य होता है लेकिन इसी में बहुत से अधिकारी मार खा जाते हैं। इसके लिए आपको इस विषय संबंधी बहुत अच्छे संकाय सदस्यों की आवश्यकता होगी जो यह बता सकें कि बोलते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या हो, आपकी आवाज़... आपकी टोन... आपके पॉज़ेज कहाँ पर आएं। कार्यशालाओं में विभिन्न प्रश्नों को कैसे उत्तर दिया जाए। अच्छा वक्ता होने के साथ-साथ राजभाषा अधिकारी को इस बात का भी प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है कि वह वक्तृत्व कला में कैसे महारत हासिल करें। बहुत से राजभाषा अधिकारी केवल नियमों, अधिनियमों का सहारा लेकर और एक दहशत का माहौल बनाकर दूसरों से काम करवाना चाहते हैं। प्रायः ऐसे राजभाषा अधिकारी दूसरे स्टाफ सदस्यों में अपनी नकारात्मक छवि का ही निर्माण करते हैं। इसी प्रकार राजभाषा अधिकारियों में विपक्ष का एक अच्छा नेता के गुण भी होने चाहिए। क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों के बीच में काम करना है जो प्रायः यह समझाने में लगे रहते हैं कि उन्हें क्यों अपना काम हिंदी में नहीं करना चाहिए। राजभाषा सम्मेलनों में 'एमबीटीआई' यानि 'मायर ब्रिग्स टाइप इंडीकेटर' संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण में राजभाषा अधिकारी को विभिन्न स्टाफ सदस्यों से राजभाषा हिंदी लागू करवाने में आशातीत सफलता मिल सकती है।

मैंने बैंक में इसी प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए जैसे बैंकों में ग्राहक सेवा बेहतर बनाने में किस प्रकार हिंदी व क्षेत्रीय भाषाएं प्रभावी होंगी? या फिर बैंकिंग परिचालन के क्षेत्रों में लाभप्रदता बढ़ाने में हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं की क्या भूमिका है... आदि आदि।

उक्त प्रयोगों से मैंने देखा कि जहाँ एक ओर स्टाफ सदस्यों में राजभाषा के प्रति एक सकारात्मकता का संदेश गया वहीं उच्चाधिकारियों ने भी इन प्रयोगों को हाथों-हाथ लिया। मैं एक ऐसा वातावरण देख चुका था जिसमें राजभाषा अधिकारी का काम एक अलाभकर काम माना जाता था। इसीलिए मैंने भाषाओं को लाभप्रदता से जोड़ा।

इसका एक और फायदा यह हुआ कि मेरी इन विशेषताओं के कारण मुझे न केवल देश भर की अलग अलग नगर राजभाषा समितियों में अपने वक्तव्य देने का मौका मिला बल्कि भारत सरकार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली व उत्तर) द्वारा मुझे अपने क्षेत्रीय सम्मेलनों में अतिथि वक्ता के रूप में बुलाया जाने लगा और अब तक मैं तीन ऐसे सम्मेलनों में अपने वक्तव्य प्रस्तुत कर चुका हूँ। यही नहीं वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा भी अपने अखिल भारतीय सम्मेलनों में भी मुझे आमंत्रित किया जाने लगा। इन आमंत्रणों से मुझे व्यक्तिगत रूप से तो लाभ हुआ ही, मेरे बैंक को भी एक नई पहचान मिली। आज पंजाब एण्ड सिंध बैंक, देश भर की अनेक शील्डों के साथ-साथ 'क' क्षेत्र में राष्ट्रपति महोदय के हाथों 'कीर्ति पुरस्कार' की प्रथम शील्ड प्राप्त करने वाला बैंक बन चुका है।

आप सभी जानते ही होंगे कि गृह मंत्रालय के उत्तर भारत के क्षेत्रीय सम्मेलनों में राजभाषा संबंधी कार्यशालानुमा सामान्य विषयों पर वक्ता नहीं बुलाए जाते हैं। ऐसे सम्मेलनों में प्रायः ऐसे सत्र रखे जाते हैं जिनसे इस बात का अहसास कराया जा सके कि हिंदी में किसी भी तकनीकी विषय को समझाने की अद्‌भुत शक्ति है। ये विषय विज्ञान की किसी विधा, मनोविज्ञान, या तकनीक के अन्य क्षेत्रों से जुड़े हो सकते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा मुझे मानव संसाधन और मनोविज्ञान से संबंधित विषय दिए गए। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय राजभाषा विभाग के उच्चस्तरीय सम्मेलनों में मुझे 'मानव संसाधन में विभिन्नताओं का महत्व' 'जीवन में वक्तृत्व कला का महत्व', 'ग्राहक सेवा में भाषा, देह भाषा व शब्दों का महत्व' 'एमबीटीआईः उत्कृष्टता बढ़ाने में सहायक' आदि विषयों पर आमंत्रित किया जाने लगा। कहना न होगा कि राजभाषा अधिकारी के पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं होता जिससे किसी स्टाफ सदस्य से जबरन हिंदी में कार्य करवाया जा सके। इसलिए प्रेम, संवाद और प्रोत्साहन को ही ऐसा हथियार बनाया जाना चाहिए जिससे दूसरे स्टाफ सदस्य राजभाषा अधिकारी की ओर सम्मोहित हो जाएं।

मेरा मानना है कि राजभाषा अधिकारी केवल राजभाषा तक अपने आप को सीमित रखेगा तब तक उसका चहुँमुखी विकास संभव नहीं है। राजभाषा अधिकारी को सदा खोजी रहना चाहिए। उसे किसी न किसी ऐसे ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए जो दूसरों की मददगार साबित हो सके। मुझे याद है कि सन् 1992 के आसपास चंडीगढ़ में विभिन्न बैंकों के तीन-चार खोजी राजभाषा अधिकारियों का हमारा एक समूह था। कार्यशालाओं में सभी को कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्टाफ सदस्य कुछ भी ऊटपटांग सवाल कर लिया करते थे जैसे....... ''जी भारत के साथ वर्ष आता(भारतवर्ष) है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं आता'', या ''और, तथा, एवं, व'' का प्रयोग कब और कहाँ करना चाहिए'' ''सेवीग्राम और टैलीग्राम में क्या अंतर होता है'', और पत्राचार के सत्र में ''सर, अर्धशासकीय पत्र के साथ-साथ प्रेम पत्र पर भी कुछ प्रकाश डाल दीजिए''। फिर हम खोजी राजभाषा अधिकारी एक दूसरे से हर पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया करते थे जिससे बुद्धिमत्ता के साथ-साथ राजभाषा की मर्यादाएं भी ऊँची की जा सकें।

इस संबंध में एक बहुत ही आवश्यक पहलू है। अक्सर उच्चाधिकारियों का यह सोचना होता है कि राजभाषा अधिकारियों से बैंकिंग संबंधी अन्य काम भी करवाए जाएं। मैंने बैंकों में देखा है कि जो अधिकारी ऋण विशेषज्ञ होते हैं, पूरी ज़िंदगी ऋण की सीट पर ही बैठे रहते हैं, उन्हें हिलाया नहीं जाता, लेकिन राजभाषा अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे सभी सीटों को काम सीखें। जिस व्यक्ति से सभी काम करवाए जाएंगे, वे अपनी सीटों के विशेषज्ञ कभी नहीं हो पाएंगे। उच्चाधिकारियों को स्वयं देखना चाहिए कि क्या वास्तव में राजभाषा के लक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं? यदि उनकी अंतरात्मा से सकारात्मक आवाज़ आती है तो निश्चित रूप से राजभाषा अधिकारियों को कहीं भी लगा देना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो उच्चाधिकारियों को ऐसा वातावरण बनाने में भी लीडर की तरह काम करना चाहिए और तब तक हिंदी अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग हिंदी को ही बढ़ाने तक सीमित रखना चाहिए। जिस तरह से उच्चाधिकारी बैंक के प्रगति के प्रति गंभीर होते हैं, उन्हें हिंदी की प्रगति के प्रति भी उतना ही गंभीर होना चाहिए। मैंने यह भी नोट किया है जो राजभाषा अधिकारी हिंदी में बहुत रुचि नहीं ले पाते वे स्वयं ही किसी दूसरी सीट की आढ़ में अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। यानि कि कुछ राजभाषा अधिकारी शौकिया तौर पर दूसरे काम पकड़े रखते हैं। उनके कारण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मेरा अनुभव है कि ऐसे राजभाषा अधिकारी राजभाषा हिंदी के साथ वास्तव में न्याय नहीं कर सकते।

अंत में मैं यही कहूँगा कि राजभाषा परिवार की मेहनत और लगन से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं पहले से कहीं अधिक आगे बढ़ चुकी हैं.... और मेरा विश्वास है कि इन दिनों मंत्रालय स्तर पर किए जा रहे अभूतपूर्व प्रयासों से, आने वाला समय निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी का स्वर्णिम युग कहलाने वाला है।

सेवानिवृत्त
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)

हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है।

ਬੀਨਾਗਰੀਆ "ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਪਿੰਡ"

प्रादेशिक भाषा पंजाबी

प्रमजीत सिंह

ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਦੁਮਕਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜ਼ੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਣ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਂਚੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੁਮਕਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਟਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀ ਦੁਮਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਔਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਪਿੰਡ ਬੀਨਾਗਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 4 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰਾ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਸੰਤਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਲ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਤਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਲੀ ਜਾਂ ਸੰਥਾਲੀ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਇੱਟਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਤੇ ਸਾਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਬੈਠਾ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੱਲੋਂ-ਮੱਲੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। 5 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜ਼ੋ ਵਿਕਾਸ਼ਸੀਲ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜ਼ੋ ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕੁ ਸੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੁਖੀਆ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ

ਨਿਪਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਲਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਵੈਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਣ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਪਰੋਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖਾ ਕੇ ਸੋਣ ਲਈ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਰਮਬੋਰਡ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਖੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨੇ ਆ ਘੇਰਿਆ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 4 ਵਜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਾਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਖਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਹਾਉਣ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੋਖਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਇੱਕਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਤਾਲੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਗਊ, ਸੂਰ, ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕੂਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇੱਕ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਉਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੰਟਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਬਿਜਨਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਣਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਵਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਮੀ ਉਥੋ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

क्रोध मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है।

बिनागरिया "एक अदिवासी गाँव"

हिंदी रूपांतर

विकास वर्मा

अभी कुछ हफ्ते पहले मुझे अपने एक दोस्त के साथ झारखंड के एक जिला दुमका जाने का मौका मिला। जहाँ वो विवाह के बन्धन में बंधने वाला था। दिल्ली से रांची तक का सफर मैंने हवाई जहाज से करने का मन बनाया। रांची पहुँचने के बाद मैंने दुमका तक का सफर रेल गाड़ी में पूरा किया। अगले दिन दुमका में विवाह में शामिल होने के बाद मैं बंगाल और झारखंड के बार्डर पर पड़ने वाले एक आदिवासी गाँव बिनागरिया में जाने का मौका मिला जो बांग्लादेश बार्डर के भी काफी करीब था। आदिवासियों के इस गाँव में मुझे दो दिन रहने का मौका मिला। इस गांव के आस पास नक्सलवाद का प्रभाव काफी पाया जाता है। पर आदिवासी लोगों के जीवन के बारे में जानने का मेरा काफी मन किया। हम वहाँ करीब 4 बजे पहुंचे, पूरबी सरहद होने के कारण वहाँ अंधेरा काफी जल्दी होने लग जाता है। मैं वहाँ अपनी जान पहचान वाले संथाली लोगों के घर पहुँच चुका था। इन लोगों को संथाल से जुड़े होने के कारण संथाली अथवा संथाल के आदिवासी भी कहा जाता है। घर पहुँचने के पश्चांत सबसे पहले उन्होंने हमें गरम पानी मिट्टी के बर्तन में दिया। इस तरह के अपनेपन तथा सादे खाने पीने से मुझे आत्मीयता का एहसास हुआ शायद वो पंजाब और पंजाबी लोगों के बारे में कुछ कुछ जानते थे। वो सारा परिवार मेरे तरफ ही देखता रहा और अलग भाषा होने के कारण मैं अपने दोस्त की और ही देखता रहा और अपने विचारों के बारे में उसे बताता रहा। 5 बजे के करीब अंधेरा हो चुका था और गाँव में बिजली का नामो निशान तक नहीं था। इस बात से मुझे बड़ी हैरानी हुई की अपना देश जो की विकासशील देशों में होने की बात करता है वहाँ आज भी ऐसे गाँव हैं जहां बिजली का नामो निशान तक नहीं है। गांव घूमने से पता चला के वहाँ की जनसंख्या मात्र 500 की है। गाँव में सबसे पढ़े लिखे इंसान को गाँव का मुखिया चुन लिया जाता है। जो गाँव में होने वाले हर छोटे मोटे झगड़े को निपटता है। शाम को गाँव में फल और सब्जियों की छोटी छोटी दुकाने लगती हैं। अमूमन लोग वहाँ माँसाहारी खाना खाते हैं पर मेरे शाकाहारी होने के कारण उन्होने मुझे आलू की सब्जी और चावल बना के खिलाये। मैं चुप चाप वो खाकर सोने के लिए घर की छत पर चला गया और घर के छोटे बच्चों के साथ कैरमबोर्ड खेलने लगा। काफी समय खेलने के बाद मैं सो गया और जब सुबह ४ बजे मैं उठा तो मेरे सामने चाय का प्याला था। चाय पीने के बाद हम गाँव की सैर के लिए निकल गए। उस गाँव में 2 तालाब बने हुए थे जिनको पोखर कहा जाता है। उस तलाब के पानी को लोग अपने नहाने, कपड़े धोने, जानवर नहलाने आदि के लिए प्रयोग करते थे। पानी को संभाल के रखने का यह तरीका वहाँ अत्यंत कारगर हैं। संथाली लोग अपने घरों में गाय, सूअर और भेड़ पालते हैं। गाँव में एक ही स्कूल था जहां बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जाता है और उनकी जीवन शैली के बारे में बताया जाता है। वहाँ अधिकतर लोग ईसाई धरम से जुडे हैं। मैं उस गाँव में बने 150 साल पुराने चर्च में भी गया, जहां एक बहुत बड़ा घंटा था जिसे गाँव वालों को इकट्ठा करने के लिए बजाया जाता है। गाँव में चारों और हरियाली भी काफी है। उस गाँव से बाहर निकलने के बाद मुझे कोयले की खदान दिखाई दी, और पता चला के कैसे बड़े व्यापारी वहाँ के लोगों का इस्तेमाल करके उनसे मजदूरी करवा रहे हैं। सुविधाओं के नाम पर उन्हें कुछ नही दिया जा रहा है। उनके शोषण की कहानी वहाँ चारों ओर दिखाई दे रही है। गाँव वालों ने बताया के कितने ही लोग इन खदानों में काम करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, इस लिए गाँव वालों को इन खदानों से बहुत ही नाराजगी है, और इन खदानों से वहाँ का वातवरण भी पूरा खराब हो रहा है। पूरा दिन वहाँ बिताने के बाद मैं शाम को वहाँ से वापिस चल पड़ा और यह ख्याल बार बार मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था कि कैसे यह पूरा संसार जो कुदरती तरीकों से चल रहा है और एक हम पंजाबी है जिन्हें सब कुछ आसानी से उपलब्ध है, वो इन सुविधाओं को सही ढंग से इस्तेमाल करने में असमर्थ होते जा रहे हैं।

प्रधान का. धोखाधड़ी निगरानी विभाग

जो व्यक्ति अपनी गलतियों से खुद लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता।

देवनागरी लिपि और मानक हिंदी वर्तनी

कौशलेन्द्र कुमार

भावों की अभिव्यक्ति सजीव प्राणियों का मूलभूत लक्षण है। अभिव्यक्ति के कई प्रकार हैं। हम मनुष्यों ने सभ्यता के सोपाणी विकास के चरण में भाषा की निर्मिति की। कोई भाषा अचानक से नहीं बनती बल्कि इसके निर्माण में युगों तक का समय लगता है। मसलन, हम अपनी हिंदी भाषा को ही लें। 10 वीं सदी के आरंभिक वर्षों से अपभ्रंश भाषा ने करवट बदलनी शुरु कर दी थी और हिंदी का अस्पष्ठ स्वरुप ही, परंतु उपस्थित होना शुरु हो गया था और वो आज भी बदस्तूर जारी है। भाषा का स्वरुप ही ऐसा है कि वो अविरल धारा की भांति निरंतर प्रवाहित होती रहती है। भाषा की सुदीर्घ प्रवाहशीलता में स्थानीय बोलियां समय समय पर मिलती रहती हैं और सच पूछा जाए तो भाषा की व्यापकता का मूल भी यही हैं। इसलिए एक भाषा को भाषा विज्ञान की दृष्ठि से देखने पर इसमें कई भिन्न भिन्न बोलियों का प्रभाव स्पष्टतया परिलक्षित होता है। हिंदी भाषा के विकास क्रम में अरबी-यूनानी-तुर्की-डच-पुर्तगाली-अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ता है ओर हिंदी की शब्दावली इन सबसे समृद्ध होती आई है। भारत पर अंग्रेजी हुकूमत के दौरान फारसी और हिंदी का विवाद सर्वविदित है। तदंतर आजादी के पश्चात हिंदी की शब्दावली की विधिवत शरुआत हुई। हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाले शब्दों को चिहित किया गया और जो शब्द दूसरे भाषाओं से आए थे उन्हे हिंदी में लिखने के तरीके को स्थिर किया गया। इस प्रकार हमारी हिंदी समृद्ध होती चली गई। वास्तव में हमारी हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति भी यही है। आज विश्व-ग्राम की परिधि में सभी भाषाएं मानों एक आंगन में आ मिली हो। एक भाषा अन्य भाषाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। यह तथ्यात्मक सत्य है कि हमारी हिंदी अन्य भाषाओं से तथा अन्य भाषाएं हिंदी से शब्दों का व्यापार करती रही हैं।

भारतीय प्राचीन इतिहास को देखे तो हमारे यहां श्रौत सूत्र की परंपरा रही है। यह वह परंपरा थी जिसमें एक पीढ़ी अगले पीढ़ी को अपना ज्ञान बोल-बोलकर स्थानांतरित करती थी। इस बात से यह तसदीक होती है कि लिखने की परंपरा से पूर्व ही भाषा का संसार निर्मित होने लगा था। अपनी भाषा को स्थायित्व प्रदान करने हेतु वाचिक ज्ञान को प्रतिक चिह्नों में विन्यासित करने का प्रयास किया जाने लगा। यहीं से लिपि तैयार करने की शुरुआत होती है। हमारी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्राचीन भारतीय परंपरा में मुख्य रुप से दो लिपियां थीं- ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि सर्वप्रथम गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने उसका उपयोग किया था, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहा गया। नागरी लिपि का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में वह 'ब्राह्मी' ही कहलाती थी, उसका कोई अलग नाम नहीं था। यदि 'नगर' या 'नागर' ब्राह्मणों से 'नागरी' का संबंध मान लिया जाय तो आधिक से अधिक यही कहना पड़ेगा कि यह नाम गुजरात में जाकर पड़ गया और कुछ दिनों तक उधर ही प्रसिद्ध रहा। बौद्धों के प्राचीन ग्रंथ 'ललितविस्तर' में जो उन 64 लिपियों के नाम गिनाए गए हैं जो बुद्ध को सिखाई गई, उनमें 'नागरी लिपि' नाम नहीं है, 'ब्राह्मी लिपि' नाम हैं। मि० शामशास्त्री(प्रसिद्ध भाषा-विज्ञानी) ने भारतीय लिपि की उत्पत्ति के संबंध में एक नया सिद्धांत प्रकट किया है। उनका कहना कि प्राचीन समय में प्रतिमा बनने के पूर्व देवताओं की पूजा कुछ सांकेतिक चिह्नों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोण आदि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। ये त्रिकोण आदि यंत्र 'देवनगर' कहलाते थे। उन 'देवनगरों' के मध्य में लिखे जानेवाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिह कालांतर में अक्षर माने जाने लगे। इसी से इन अक्षरों का नाम 'देवनागरी' पड़ा'। वैसे आज उपरोक्त दोनों मत संशयात्मक प्रश्नों से विलग नहीं है। अतः देवनागरी का उन्मेष कैसे हुआ, यह ठीक ठीक बतलाना आज भी संभव नहीं हो पाया है। अब तक ज्ञात साक्ष्यो के आधार पर विद्वानों ने माना है कि देवनागरी का विकास उत्तर भारतीय ऐतिहासिक गुप्त लिपि से हुआ, हालांकि अंततः इसकी उत्पत्ति ब्राह्मी वर्णाक्षरों से हुई, जिससे सभी आधुनिक भारतीय लिपियों का जन्म हुआ है। सातवीं शताब्दी से इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन इसके परिपक्व स्वरूप का विकास 11वीं शताब्दी में हुआ। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति 'भाषा' कहलाती है। जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि। भाषा श्रव्य होती है, जबकि लिपि दृश्य। भारत की सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी BC का है जो कि बौद्धकालीन है। गुप्तकाल के प्रारम्भ में ब्राह्मी के दो भेद हो गए, उत्तरी ब्राह्मी व दक्षिणी ब्राह्मी। देवनागरी का विकास इसी उत्तरी ब्राह्मी लिपि से हुआ।

उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास

उत्तरी ब्राह्मी(350ई) गुप्त लिपि(4वी-5वी सदी) सिद्धमातृका लिपि (6ठी सदी)
नागरी(10 वी सदी)

यह वह लिपि है जिसका संबंध विश्व के प्रथम महाकाव्य रामायण, प्रथम ज्ञानराशि कोष वेद-उपनिषद से जोड़ा गया। यह वह लिपि है जिसका आश्रय कालिदास, तुलसीदास, महाप्राण निराला, अज्ञेय जैसे परम् विद्वानों ने लिया है। एक तरफ तो यह ज्ञान और साहित्य प्लावित रही है तो दूसरी ओर यह लिपि वैज्ञानिकता की निकष पर भी खरी उतरी है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह 'अक्षरात्मक' लिपि कहलाती है। यह लिपि विश्व में प्रचलित सभी लिपियों की तुलना में अधिक पूर्ण एवं सटीक है। इसके लिखित और उच्चरित रूप में कोई अंतर नहीं पड़ता है। प्रत्येक ध्वनि संकेत यथावत लिखा जाता है। देवनागरी की विशेषता अक्षरों के शीर्ष पर लंबी क्षैतिज रेखा है, जो आधुनिक उपयोग में सामान्य तौर पर जुड़ी हुई होती है, जिससे लेखन के दौरान शब्द के ऊपर अटूट क्षैतिक रेखा का निर्माण होता है। देवनागरी को बाएं से दाहिनी ओर लिखा जाता है। हालांकि यह लिपिः वर्णाक्षरीय मूलतः लेकिन उपयोग में यह आक्षरिक है, जिसमें प्रत्येक व्यंजन

अधिकांश वही व्यक्ति सफल होते हैं जो बोलते कम और सुनते ज्यादा हैं।

के अंत में एक लघु ध्वनि को मान लिया जाता है, बशर्ते इससे पहले वैकल्पिक स्वर के चिह का उपयोग न किया गया हो। देवनागरी को स्वर चिह्नों के बिना भी लिखा जाता रहा है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो अनेक गुणों के साथ कतिपय दोषो को भी लिए हुए है। गुण एवं दोष पर पर्याप्त प्रकाश आरोपित कर इस लिपि को इस प्रकार समझा जा सकता है-

देवनागरी लिपि के गुण

1. **एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत:-** देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण निर्धारित है। क ध्वनि के लिए हमेशा क वर्ण का ही उपयोग होता है। केशव, कोयल, क्यूँ, आदि शब्दों में 'क' ध्वनि के लिए 'क' वर्ण का प्रयोग होता है। परंतु अंग्रेजी में 'क' के लिए K, Q, C अक्षरों का प्रयोग होता है। KING, QUESTION, CHEMISTRY शब्दों में पहली ध्वनि 'क' है परंतु ये तीन तरीके से लिखी जाती है। इससे लिपि की दुरुहता ही कहा जाएगा।

2. **एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त:-** देवनागरी-लिपि के सभी वर्ण किसी निश्चित ध्वनि को धारण किए हुए रहते हैं। किसी भी स्थिति में यह परिवर्तित नहीं होता। प वर्ण से सदैव ही प ध्वनि ही उच्चारित होगी। पर्वत, प्रेम, पीड़ा, पकवान आदि शब्दों में 'प' वर्ण से 'प' ध्वनि ही उच्चारित होती है। दूसरी ओर, रोमन लिपि का अल्फाबेट 'C' है। इससे निर्मित तीन शब्दो को देखिए- CAT, CITY, CHILD इनका उच्चारण क्रमशः कैट, सिटी तथा चाइल्ड है। एक 'C' से तीन अलग अलग ध्वनियां-'क','स','च' उच्चरित होती है। यह स्थिति किसी लिपि के लिए आदर्श नहीं मानी जाती है।

3. **समग्रता** - देवनागरी लिपि में समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। रोमन लिपि में 'ण' तथा 'न' ध्वनियों के लिए 'N' का उपयोग होता है। जबकि देवनागरी में इसके लिए अलग-अलग वर्ण है।

4. **मूक वर्ण नही-** देवनागरी में किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों का उच्चारण किया जाता है। परंतु अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि में कई बार प्रयुक्त वर्ण का उच्चारण नहीं किया जाता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे- KNIFE में K का उच्चारण नहीं होता है, PSYCHOLOGY में P का उच्चारण नहीं होता है।

5. **जो बोला जाता है वही लिखा जाता है:-** देवनागरी में अ,आ,इ,ई,उ,ऊ, ए, ऐ मात्रा के उपयोग का एक सपष्ट विधान है और कभी भी, कहीं भी नहीं बदलता। इसके विपरीत अंग्रेजी के शब्दों के उच्चारण देखिए तो इसमें एकरुपता नहीं है। BUT में B के बाद U के आने से ब में अ की मात्रा लगी और उच्चारण बट हुआ। अब देखिए इसी तर्ज पर अंग्रेजी का एक शब्द है- PUT, यहां भी P के बाद U है परंतु उच्चारण में 'प' ध्वनि में 'उ' की मात्रा लगती है और उच्चारण पुट होता है। इसी तरह से TO-GO, SON-DON, शब्दों के उच्चारण में एक जैसे वर्ण होने के बावजूद एकरुपता नही है।

6. **एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं:-** देवनागरी के सभी वर्ण एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी लिखावट अपनी विशिष्ठता को लिए हुए रहती है। लेकिन रोमन लिपि के कई वर्ण एक दूसरे के जैसे लगते है। जैसे- c-e, i-l, b-d-q

7. **वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप-** अब तक जिन तथ्यों के बाबत हमने बात की है उससे यह स्पष्ट है कि देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक पद्धति की भाषा है।

8. **प्रयोग बहुत व्यापक-** संस्कृत, हिन्दी, मराठी, नेपाली, गुजराती की एकमात्र लिपि देवनागरी लिपि है। भारत की आबादी का एक बड़ा भाग अपनी भाषा को देवनागरी लिपि में ही लिखता है, पढ़ता है।

9. **सरल कलात्मक एवं सुंदर-** देवनागरी लिपि सरल, कलात्मक एवं सुंदर है। इसमे व्यंजन संयोग के सरल नियम है अतः वर्तनी की भूलों की संभावना कम रहती है।

देवनागरी लिपि के दोष

1. कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकण, मुद्रण में कठिनाई।
2. शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए।
3. अनावश्यक वर्ण (ऋ, ॠ, ऌ, ॡ, ङ्, ञ्, ष)- आज इन्हें कोई शुद्ध उच्चारण के साथ उच्चारित नहीं कर पाता।
4. द्विरूप वर्ण (ज्ञ अ, ज्ञ, क्ष, त, त्र, छ, झ, रा ण, श)
5. समरूप वर्ण (ख में र व का, घ में ध का, म में भ का भ्रम होना)
6. वर्णों के संयुक्त करने की कोई नश्चित् व्यवस्था नहीं।
7. अनुस्वार एवं अनुनासिकता के प्रयोग में एकरूपता का अभाव।
8. त्वरापूर्ण लेखन नहीं क्योंकि लेखन में हाथ बारदबार उठाना पड़ता है।
9. वर्णों के संयुक्तीकरण में र के प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति।
10. इ की मात्रा (ि) का लेखन वर्ण के पहले पर उच्चारण वर्ण के बाद।

देवनागरी लिपि के मानकीकरण का संक्षिप्त इतिहास

लिपि में ध्वनि-विज्ञान के अनुसार सुधार करना और किसी एक ध्वनि के प्रचलित चिन्हों में से किसी एक को उपयोग हेतु स्थिर करना लिपि का मानकीकरण कहलाता है। भारत में इसके लिए प्रयास होते रहे है। इसके संक्षिप्त इतिहास पर एक दृष्टि उचित ही प्रतीत होता है।

1. सर्वप्रथम बम्बई राज्य के महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति गठित की।
2. बीसवीं सदी के प्रारंभ में लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र 'केसरी' में लिपि सुधार की चर्चा की।

इसके बाद सावरकर, महात्मा गांधी, विनोवा भावे, काका कालेलकर तथा आचार्य नरेन्द्र देव ने लिपि सुधार एवं संशोधन के प्रयास किए। काका कालेलकर ने 'अ' की बारहखड़ी का सुझाव दिया तथा स्वर ध्वनियों की संख्या कम कर दी।

3. डॉ श्यामसुंदर दास का सुझाव था कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए।

4. श्री निवासदास जी ने सुझाव दिया कि इस लिपि से महाप्राण ध्वनि निकाल दी जाएं और उनके स्थान पर अल्पप्राण ध्वनियों के कोई चिह लगाकर काम चलाया जाए।

5. सन् 1947 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेन्द्र की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति गठित की। इसके मुख्य सुझाव निम्न थे-
   क. अ की बारहखड़ी भ्रामक है।
   ख. मात्राएं यथास्थान रहें, किंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर लिखा जाए।
   ग. अनुस्वार एवं पंचम वर्ण के स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार(%) से काम चलाया जाए।
   घ. संयुक्त वर्णों क्ष, त्र, ज्ञ को वर्णमाला में स्थान दिया दाए।

6. देवनागरी लिपि में अंग्रेजी की अह् ध्वनि को अंगीकार लिया गया तथा फारसी की क़, ख़, ग़, ज़, फ़, ध्वनियां भी उपयोग में आने लगी।

7. लिपि सुधार के लिए समय समय पर अनेक प्रयास होते रहे हैं। यह प्रक्रिया अभी तक चल रही है।

देवनागरी लिपि का मानकीकरण

1. हिंदी में ट वर्गीय घोष ध्वनियों के दो-दो रुप हैं- 1. स्पर्श और 2. उत्क्षिप्त। स्पर्श-ड ढ को बिना अधोबिंदु के लिखा जाता है और उत्क्षिप्त को अधोबिंदु के साथ ड़ ढ़। इसके प्रयोग के संबंध मं प्रायः अशुद्धियां हो जाती है। अतः यह जान लेना आवश्यक है कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है-

ड/ढ

1. किसी शब्द का प्रारंभ 'ड' या 'ढ' से हो तो ये हमेशा बिना अधोबिंदु के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं-

जैसे- डाल, डोली, डॉक, डमरु, डाकू, ढोलक, ढलान, ढक्कन

2. यदि 'ड'/'ढ' संयुक्त व्यंजन के रुप में एक साथ प्रयुक्त हो तो उनके नीचे अधोबिंदु नहीं आता- जैसे- अड्डा, बुड्ढा, हड्डी, कबड्डी

3. यदि 'ड'/'ढ' अनुस्वार के बाद अए तो भी इसके नीचे अधोबिंदु नहीं लगाते हैं- जैसे- पंडित, झंडा, अंडा, डंडा

4. यदि 'ड'/'ढ' के पूर्व उपसर्ग आए तो भी अधोबिंदु नहीं लगता-
जैसे- सुडौल, बेढब, बेडौल, निढाल, अडिग

5. दो शब्दो को मिलाकर समास बनता हो तब भी अधोबिंदु नहीं आता-
जैसे- डीलडौल, डमडम

6. यदि 'ड'/'ढ' आधा और अकेला आए तो-
जैसे- खड्ग, धनाढ्य, एड्स

7. अन्य भाषाओं के आगत शब्द आए तो- जैसे- रेडियो, ब्लड, बागडोर, रोड, मैडम

8. व्यक्तिवाचक संज्ञा या संक्षिप्त शब्द हो तो- डालडा, टाडा

ड़/ढ़

उपरोक्त स्थितियों को छोड़कर ड/ढ किसी डी शब्द के मध्य या अंत में आने पर उसके नीचे हमेशा अधोबिंदु लगाते हैं।

जैसे- पापड़, खिचड़ी, हथकड़ी, धड़ी, छड़ी पढ़ाई, कढ़ाई, चढ़ाई, बूढ़ा

छोटी 'इ' का प्रयोग

सामान्य तौर पर हमसे छोटी 'इ' तथा बड़ी 'ई' को लेकर अशुद्ध हो जाती है। इसका कारण है 'इ' तथा 'ई' ध्वनियों के मध्य जो सूक्ष्म अंतर है, उसे नहीं समझना। यहां इनके अंतर को समझने के लिए कुछ तथ्य हैं-

1. तत्सम अथवा संस्कृतमूलक जातिवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में यदि 'इ' की ध्वनि हो तो प्रायः उसमें छोटी 'इ' की मात्रा लगती है। जैसे- ऋषि, छवि, रवि, कवि, शशि, अतिथि

2. सामान्य तौर पर जब शब्द के अंत में संयुक्त शब्द 'इ' की मात्रा के साथ आता है तो छोटी 'इ' की मात्रा लगती है। जैसे- वृद्धि, सिद्धि समृद्धि, प्रसिद्धि, शुद्धि, भक्ति, शक्ति

3. संज्ञा शब्दो में इक प्रत्यय लगाकर जो विशेषण शब्द बनते हैं उनमें हमेशा छोटी 'इ' की मात्रा ही लगती है।

जैसे-	व्यवहार-व्यवहारिक	पक्ष-पाक्षिक
	शब्द-शाब्दिक	सत्व-सात्विक

4. दीर्घ 'ई' पर समाप्त होने वाले एकवचन पुल्लिग और स्त्रीलिंग बहुवचन के शब्द 'इ' में बदल जाते हैं।

जैसे-	लकड़ी-लकड़ियां	बकरी-बकरियों
	नदी-नदियां	स्त्री-स्त्रियां

नोट- यहां यह ध्यान रखा जाए कि यदि 'ई' के पश्चात् कोई व्यंजन आ जाए तो उक्त नियम लागू नहीं होता।

जैसे-	मशीन- मशीनों	संगीन- संगीनों
	भारतीय-भारतीयों	परीक्षा-परीक्षाओं

5. जिन शब्दों से समास बनता है उनमें पहले शब्द की अंतिम 'ई' बदल 'इ' हो जाती है।

मंत्री + परिषद्	मंत्रिपरिषद
स्वामी + भक्ति	स्वामिभक्ति

6. इल और इक प्रत्यय लगने पर छोटी 'इ' की मात्रा लगती है

इल	इक
सलिल, जटिल, पंकिल	श्रमिक, प्रशासनिक, अनैतिक

कोई भी महान व्यक्ति अवसर की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता।

7. इसी तरह शब्द के अंत में इ प्रत्यय लगने पर छोटी इ की मात्रा लगती है-
जैसे- मरियल, अड़ियल, सड़ियल

8. उर्दू का इश प्रत्यय लगने पर भी छोटी इ की मात्रा लगती है-
जैसे- साजिश, बारिश, कोशिस, फरमाइश, ख्वाइश

9. इसी तरह इया प्रत्यय लगने पर छोटी इ की मात्रा लगती है-
जैसे- गुड़िया, बुढ़िया, खटिया, पुड़िया

'कि' का उपयोग-

'कि' का प्रयोग सामान्य तौर पर क्रिया के बाद होता है। जैसे मैंने कहा कि, कि का प्रयोग संयोजक के रुप में भी होता है। जैसे- चूंकि, हालांकि, क्योंकि, जबकि

बड़ी 'ई' का प्रयोग

1. सभी तद्भव और देशी शब्दो में अंतिम 'ई' केवल दीर्घ 'ई' ही होती है।
जैसे- चपाती, भाई, भारी, राई, ताई, दाई

2. जातिवाचक स्त्रीलिंग शब्दों की अंतिम 'ई' की ध्वनि बड़ी ही होगी।
जैसे- स्त्री, पुत्री, सती,रानी, भाभी, नदी, चक्की, गली,

3. पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में अंतिम 'ई' सदा दीर्घ होगी।

जैसे-	पड़ोस-पड़ोसी	देव-देवी
	दास-दासी	छोटा-छोटी

4. संज्ञाओं के विशेषण बड़ी 'ई' पर समाप्त होते हैं।

जैसे-	अपराध-अपराधी	पाप-पापी
	सुख-सुखी	विदेश-विदेशी

5. आई प्रत्यय आने पर भी 'ई' लगती है।
जैसे- जुदाई, छंटाई, बंटाई, मड़ाई, लिखाई, मलाई

'की' का प्रयोग

1. संज्ञा या सर्वनाम के बाद की का प्रयोग होता है।
जैसे- रामकी, उसकी, आपकी

2. कभी कभी दीर्घ की क्रिया के रुप में भी होता है।
जैसे- उसे लिखने की जरुरत है।

अनुस्वार का प्रयोग

अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं और इसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है। अनुस्वार की सूचना देनेवाली बिंदी का प्रयोग नासिक्य व्यंजन के स्थान पर किया जाता है। प्रत्येक वर्ग (कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग) का पंचम् वर्ण अनुस्वार के रुप में प्रयुक्त हेता है। अनुस्वार के प्रयोग को लेकर कुछ नियम हैं-

1. जब किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के किसी वर्ण से पहले आता हो तो तब उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे- गङ्गा-गंगा, अन्तर-अंतर, चुम्बक-चुंबक

2. जब किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण खुद के ही आगे आए, तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे- पम्मी, मिन्नत, सम्मान, सन्नाटा

अनुनासिक चंद्रबिंदु का प्रयोग

कई बार अनुस्वार तथा अनुनासिक के मध्य भेद करना मुश्किल होता है। नियम यह है कि यदि शीरारेखा के ऊपर स्वर की कोई मात्रा हो तो चंद्रबिंदु का प्रयोग नही होता है। जिन अक्षरों में स्वरों की मात्राएं नीचे या पार्श्व में लगती है उनके उपर अनुनासिक चिह्न चंद्रबिंदु लगता है। जैसे- माँ, आँख, मुँह, चाँद

देवनागरी लिपि के मानकीकरण का प्रयास राजभाषा हिंदी को पूरे देश में एक समान लागू करने के उद्देश्य से किया गया है।

नुक्ते का प्रयोग

नुक्ता का प्रयोग उन्हीं शब्दों के लिए होता है जो अरबी, फारसी व उर्दू से हिंदी में आए हैं। इनकी पाँच ध्वनियां- क़ ख़ ग़ ज़ फ़ हमारी देवनागरी में नुक्ते के साथ प्रयुक्त होती है। परंतु अब इनका प्रयोग अनिवार्य नहीं रह गया है। नुक्ते का प्रयोग वहीं अनिवार्य है जहां इसक प्रयोग नहीं करने से अर्थ में बदलाव होने की आशंका हो।

जैसे- जमाना(दही जमाना)	- ज़माना(समय)
सजा(सजावट)	- सज़ा(दण्ड)
गौर(गोरा रंग)	- ग़ौर(ध्यान देना)

यहां हम सहज ही देख सकते हैं कि नुक्ता के प्रयोग के बिना अर्थ में कितना बदलाव हो सकता है।

अतः इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारी देवनागरी लिपि कितनी समृद्ध और वैज्ञानिक है। इसके प्रयोग में एकरूपता लाने के लिए हम ऊपर वर्णित विधियो का प्रयोग करते हैं। हम जब किसी भाषा का परिनिष्ठित रुप और लिपि का मानकीकरण कर लेते हैं तो इनका व्यवहार वृहत से वृहत्तर होता चला जाता है। साहित्य से लेकर दैनन्दिन के कार्यों में इसी भाषा और लिपि का प्रयोग करते हैं। भारत में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को लेकर सरकार संविधानिक रुप से वचनबद्ध है। करीब 300 वर्षों की गुलामी ने भारत को न सिर्फ राजनीतिक रुप से वरन् सांस्कृतिक दृष्टि से भी पंगू बना दिया। छोटे-छोटे भाषायी गुटों में बंट चुके भारतीयों को हिंदी ने एक देश-एक सोच के रुप में समादृत किया। क्या पश्चिम के गांधी जी, क्या दक्षिण के सी.गोपालाचारी और क्या पूर्व के सुभाषचंद्र बोस, सभी ने हिंदी को अपनी भाषा मानी और हिंदी में ही गुलामी के खिलाफ हुंकार भरी। आजादी प्राप्त होने के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियम-कायदे भी बनाए गए। सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग करने के उद्देश्य से कुछ नियम भी बनाए गए हैं।

प्रधान कार्यलय, राजभाषा विभाग

जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की।

बैंक के विभिन्न आँचलिक कार्यालयों में

आँचलिक कार्यालय, बरेली

आँचलिक कार्यालय, दिल्ली-1

आँचलिक कार्यालय, नौएडा

आँचलिक कार्यालय, लुधियाना

आँचलिक कार्यालय, गुवाहाटी

हिंदी पखवाड़े तथा हिंदी दिवस का आयोजन

आँचलिक कार्यालय, जयपुर

आँचलिक कार्यालय, भोपाल

आँचलिक कार्यालय, करनाल (हरियाणा)

आँचलिक कार्यालय, गुरुग्राम

बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन-नवोन्मेष कार्य

नीलम मल्होत्रा

भाषा किसी भी देश की सांस्कृतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं मूल्योन्मुखी उपलब्धियों की अभिव्यक्तियों की सबल संवाहक होती है। भारत विविधताओं का देश है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल से कच्छ तक आपको ''कोस-कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बानी'' चरितार्थ होते मिलेंगे। इतनी विविधताओं वाले देश में जहाँ हर प्रांत की अपनी भाषा है और हर भाषा की अपनी लिपि, अपना विज्ञान और साहित्य है ऐसे में अवश्य ही एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है, जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो सके। भारत में सभी को इकट्ठा करने वाली एक मात्र भाषा राजभाषा हिंदी है। वर्तमान बैंकिंग परिवेश में सूचना-प्रौद्योगिकी से जुड़कर राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में बैंकिंग में नए-नए क्षेत्रों का समावेश हो गया है। वित्तीय समावेशन के तहत बैंक न केवल गाँवों में गहरी पैठ बैठाने के लिए चल पड़े हैं, बल्कि शहरी क्षेत्र के ग़रीब तबके को भी बैंकों से जोड़ लिया गया है। यह वह क्षेत्र है जहाँ बिना राजभाषा हिंदी के बात बन ही नहीं सकती।

भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अब अंग्रेजी का आधिपत्य पहले से भी अधिक हो जाएगा और हिंदी सहित सभी देशी भाषाएं प्रभावित होंगी लेकिन राजभाषा हिंदी का प्रयोग वैसे ही जारी रहा जैसे बैंकों में उदारीकरण के पश्चात् प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में व्यावसायिकता व लाभप्रदता के नए लक्ष्यों के बावजूद सामाजिक बैंकिंग एवं ग्रामीण विकास का कार्य समान रूप से चलता रहा। बैंकों के उत्पादों का विपणन अर्थात योजना को ग्राहक तक पहुंचाने में भाषा की मुख्य भूमिका होती हैं। बैंकिंग सेवा का आधार भाषा होती है। संप्रेषण के लिए आवश्यकतानुसार भाषा अपनानी पड़ती है एवं इसमें मातृभाषा ही सबसे अधिक सहायक होती है। अंग्रेजी हमारे दिलों की भाषा नहीं है, इसलिए अंग्रेजी हमारे दिल तक नहीं पहुँच सकती। इस प्रकार बिना भाषा के संप्रेषण का कार्य अधूरा रह जाता है।

26 जनवरी 1950 से लागू भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में यह व्यवस्था की गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि 15 वर्ष बाद यानि 26 जनवरी 1965 से संघ के उन सभी कार्यों में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा जिनमें पहले अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जाता है।

15 वर्ष की अवधि के दौरान हिंदी के प्रयोग के लिए सभी व्यवस्थाएं की जानी थी। इसलिए संसद ने 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया जिसे राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जाता है। लेकिन 1967 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और कुछ विशिष्ट कार्यों में हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी का प्रयोग भी रखा गया। प्रशासनिक रिपोर्ट, राज-पत्र में प्रकाशित अधिसूचनाएं, संसद में रखे जाने वाले समस्त कागज़ात, कार्यालय आदेश, परिपत्र, मैनुअल फार्म, अखिल भारतीय स्तर के विज्ञापन आदि इसी श्रेणी में आते हैं। 1976 में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए जिन्हें राजभाषा नियम 1976 कहा जाता है। ये नियम तमिलनाडु राज्य को छोड़कर समस्त भारत पर लागू हैं। इन नियमों के अंतर्गत देश का भाषावार वर्गीकरण तीन क्षेत्रों में किया गया है -

क्षेत्र "क" -हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उतरांचल, दिल्ली एवं संघ शासित क्षेत्र अण्डेमान निकोबार द्वीप समूह।

क्षेत्र ''ख''- महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और चंडीगढ़ शासित क्षेत्र।

क्षेत्र "ग" - उपर्युक्त राज्यों को छोड़कर, अन्य सभी राज्य तथा संघ शासित प्रदेश।

इन नियमों में नियम 5, 8(4), 10(4) और 12 प्रमुख हैं।

- नियम 5 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में दिया जाए।

- नियम 8(4) के अंतर्गत जिन कार्यालयों में 80%या अधिक अधिकारी/ कर्मचारी हिंदी में प्रवीण हैं उन्हें इस नियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया जाए। ऐसे कर्मचारियों / अधिकारियों को अपना संपूर्ण कार्य राजभाषा हिंदी में करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाऐ।

- नियम 10(4) में यह व्यवस्था है कि जिन कार्यालयों के 80% स्टाफ़ को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, उन्हें भारत के राज-पत्र में अधिसूचित किया जाए ताकि इन कार्यालयों के साथ सरकारी विभाग अन्य कार्यालय या व्यक्ति राजभाषा हिंदी में पत्राचार करें।

- नियम 12 के अंतर्गत कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके संगठन/ कार्यालय में अधिनियम व नियमों का समुचित रूप से अनुपालन किया जाये।

सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का दायित्व भारत सरकार, गृह-मंत्रालय के राजभाषा विभाग को सौंपा गया है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा नीति संबंधी आदेश व वार्षिक कार्यक्रम वित्त मंत्रालय व भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से बैंकों को प्राप्त होते हैं और बैंको से तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है जिसकी समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक

सफल व्यक्ति अलग काम नहीं करते अपितु उसके काम करने का ढंग अलग होता।

तथा वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा की जाती है। समय-समय पर रिज़र्व बैंक व वित्त-मंत्रालय के अधिकारी बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के कार्यालयों का निरीक्षण करते हैं और प्रगति की समीक्षा करते हैं। बैंक व्यावसायिक संस्थाएं हैं उन्हें राजभाषा हिंदी के प्रयोग में जहां सांविधिक अपेक्षाएं पूरी करना आवश्यक है वहीं यह भी ज़रूरी है कि व्यावहारिक आवश्यकताओं व व्यावसायिक प्राथमिकताओं को भी दृष्टिगत रखें और राजभाषा हिंदी का प्रयोग उसी के अनुसार विकसित करें।

प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए बैकों/वित्तीय संस्थाओं एवं उपक्रमों को कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

प्रमुख अपेक्षाएं-

- प्रधान कार्यालय में राजभाषा विभाग का गठन करना और विभिन्न स्तरों पर राजभाषा कक्षों की स्थापना करना और राजभाषा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना एवं यह भी अपेक्षा कि राजभाषा अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग केवल राजभाषा कार्य के लिए ही किया जाए।

- बैकों के लिए यह आवश्यक है कि प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय एवं शाखा स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाए तथा प्रत्येक तिमाही में उनकी एक बैठक अवश्य आयोजित की जाए। इन बैठकों की अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख द्वारा की जानी अपेक्षित है।

- नगर स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में समुचित प्रतिनिधित्व करना।

- वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ''क'', "ख'' और ''ग'' क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना।

- तिमाही आधार पर प्रगति रिपोर्ट भेजना जो समुचित रिकार्ड पर आधारित हो। रिपोर्टों पर समीक्षा/ अनुवर्ती कार्रवाई करना।

- राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त जाँच बिन्दुओं की स्थापना।

- बैंकों में एक उचित निरीक्षण प्रणाली हो ताकि एक वर्ष में एक बार समस्त शाखाओं/कार्यालयों का निरीक्षण किया जाये। संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति बैंकों का निरीक्षण करती है। प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना सही और तथ्यपरक हो। संसदीय समिति के अलावा, गृह-मंत्रालय-राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, एवं वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी कार्यालय का दौरा कर सकते हैं।

- यह सुनिश्चित करना कि बैंकों में समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो यदि नहीं है, तो प्रशिक्षण रोस्टर रखना, प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना इन शर्तों के साथ कि सभी अधिकारी/ कर्मचारी अपना समस्त कार्य राजभाषा हिंदी में करें।

- बैकों के जिन शाखाओं/कार्यालयों में 80 प्रतिशत स्टाफ़ को राजभाषा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है उन्हें नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित करवाना ।

- बैंकों में जिन शाखाओं/कार्यालयों में 80% या अधिक कर्मचारी हिंदी में प्रवीण हैं उन्हें नियम 8(4) में विनिर्दिष्ट करना और उन्हें अपना कार्य हिंदी में करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी करना।

- हिंदी कार्यशालाओं/ सेमिनारों व डैस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन व सहायक साहित्य का निर्माण करना ।

- उच्च अधिकारियों द्वारा हिंदी का प्रयोग-महत्वपूर्ण अवसरों पर हिंदी में संबोधन/संदेश, बैठकों में बातचीत हिंदी में करना, हिंदी में आदेश जारी करना निरीक्षण दौरों के दौरान अन्य पक्षों के साथ- साथ हिंदी के प्रयोग की प्रगति की भी समीक्षा करना।

- ''क'' क्षेत्र में शीर्षस्थ बैठकों सहित सभी प्रकार की बैठकों में हिंदी का प्रयोग करना।

- शीर्षस्थ बैठकों में अन्य पक्षों के साथ-साथ हिंदी के प्रयोग के पैरामीटर को भी एक मद के रूप में शामिल करना।

- कंप्यूटरों, इलैक्ट्रानिक उपकरणों और टाइपराईटरों में द्विभाषिक क्षमता की व्यवस्था करना और उपलब्ध क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करना।

- टंककों, आशुलिपिकों, कंप्यूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को हिंदी टंकण/ आशुलिपि/ हिंदी कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण रोस्टर रखना।

- हिंदी में प्राप्त पत्रों का समुचित रिकार्ड रखना और उनके उत्तर अनिवार्य रुप से हिंदी में ही देना।

- मूल रूप से लिखे जाने वाले पत्र हिंदी में लिखना वार्षिक कार्यक्रम में दिये गये क्षेत्रवार लक्ष्य पूरे करना।

- धारा 3(3) का पूर्ण अनुपालन जिसमें परिपत्र / परिसंचारी पत्र, आदेश, नोटिस आदि हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी में भी जारी करना।

- रबड़ की मोहरों, सीलों, टोकनों, लेखन सामग्री, उपहार-सामग्री, पत्र शीर्षों, नाम पट्टों, विजिटिंग कार्डों, लोगो आदि में हिंदी व अंग्रेज़ी का प्रयोग, जिनमें हिंदी-अंग्रेज़ी आगे-पीछे या हिंदी और अंग्रेज़ी ऊपर-नीचे हो। ''क" क्षेत्र में बोर्ड द्विभाषिक और ''ख" एवं ''ग" क्षेत्रों में बोर्ड त्रिभाषी हों।

- प्रचार-सामग्री अंग्रेज़ी, हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार करना और जारी करना। इसके अलावा नवोन्मेष कार्यक्रमों आदि में भी हिंदी/क्षेत्रीय भाषाओं का अधिकाधिक प्रयोग किया जाये।

- प्रशिक्षण /साक्षात्कारों में हिंदी के प्रयोग का विकल्प दिया जाये।

- प्रशिक्षण में हिंदी का प्रयोग-''क'' क्षेत्र में सभी कार्यक्रमों में, ''ख'' क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्यक्रमों में और ''ग'' क्षेत्र में यथासंभव/ यथावश्यक कार्यक्रमों में हिंदी का प्रयोग करना। इसमें प्रशिक्षण का माध्यम है। ले-आऊट व अन्य प्रशिक्षण सामग्री शामिल है।

- आंतरिक कार्य में हिंदी का प्रयोग-व्यक्तिगत फाइलों में हिस्ट्रीशीट/ सर्विस रिकार्ड, रजिस्टरों फार्मों फाइलों में टिप्पणियों / नोट, फाइल कवरों में शीर्ष विवरणियों, लिफ़ाफ़ों पर पतों में हिंदी का प्रयोग करना "क'' और ''ख'' क्षेत्र के समस्त पत्राचार केवल राजभाषा हिंदी में ही किया जाना आवश्यक है। - शाखा स्तर पर हिंदी का प्रयोग - हिंदी में फार्म भरना, खाते खोलना, पास बुकों/ खाता विवरणियों में हिंदी में प्रविष्टियाँ करना, ड्राफ्ट, टीपीओ, जमा रसीदें आदि हिंदी में जारी करना, लैजरों, रजिस्टरों, पुस्तकों में हिंदी का प्रयोग, ग्राहक-सेवा व अन्य बैठकों के कार्यवृत्त हिंदी में जारी करना। व्यावसायिक नीति के अनुसार ग्राहकों को सेवा उस भाषा में देना जिसमें उन्हें सुविधा हो। हिंदी में हस्ताक्षरित चैक स्वीकार किए जाने आवश्यक हैं। क्षेत्र ''क'' की ग्रामीण शाखाओं में समस्त कार्य हिंदी में किये जाने चाहिए।

- निरीक्षण रिपोर्टों में हिंदी का प्रयोग करना।

- हिंदी -दिवस के अवसर पर समारोह/ प्रतियोगिताएं आयोजित करना। इसके अलावा विभिन्न व्यावसायिक बैठकों/ समारोहों में बैनर, निमंत्रण-पत्र व कागजात द्विभाषिक रूप से बनाए जायें।

- हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना तथा गोपनीय रिर्पोटों में इसका उल्लेख करना भी ज़रुरी है।

- पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की व्यवस्था।

- सामान्यतः निर्धारित बजट का 50% हिंदी पुस्तकों/ पत्रिकाओं पर खर्च करना अनिवार्य है।
- हिंदी कंप्यूटरीकरण, शब्द-संसाधन के साथ-साथ डाटा बेस कार्य व सूचना संबंधी कार्य में भी हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाये।

- बैंकों के लेखा संबंधी कामकाज में अंकों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाये।

आज के वैज्ञानिक युग में कंप्यूटरीकरण का तेज़ी से विकास हो रहा है। जीवन का कोई भी क्षेत्र कंप्यूटर से अछूता नहीं रहा। जहाँ तक कंप्यूटरीकरण व बैंकों में हिंदी के प्रयोग की संभावनाओं की बात है तो प्रारंभ में यह केवल अंग्रेज़ी में काम करता था परंतु अब व्यापक रूप से हिंदी में कंप्यूटर पर कार्य हो रहा है। कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए बैंकों में हिंदी के प्रयोग की प्रबल संभावनाएं नजर आने लगी हैं। कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए अब कोई अलग से सॉफ्टवेयर लोड करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि एक ऐसा माध्यम यानि यूनिकोड प्रणाली जिसमें आपको कंप्यूटर पर एक बार यूनिकोड एक्टिवेट करना है तथा उसके बाद आप हिंदी के अलावा कई अन्य क्षेत्रीय भाषा में भी काम कर सकते हैं। इसमें आप ई-मेल भी भेज/प्राप्त कर सकते हैं तथा ई-मेल प्राप्त कर्ता के कंप्यूटर में भी केवल यही एक प्रणाली एक्टिवेट होती है तथा वह हमारी मेल बिना कोई फांट लोड किये पढ़ सकता है उसका प्रिंट ले सकता है तथा हमें मेल का जवाब भी दे सकता है। यूनिकोड एनकोडिंग को भारत सरकार से भी मान्यता प्राप्त है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इस से हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर अंग्रेज़ी की तरह ही सरलता से कार्य किया जा सकता है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, ई-मेल, वेबसाईट निर्माण आदि। यूनिकोड प्रणाली में की-बोर्ड में काम करने का विकल्प भी उपलब्ध है - फ़ोनेटिक की-बोर्ड-

उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण आदि के वातावरण में बैंकिग क्षेत्र अत्यंत तीव्र गति से प्रभावित हुआ है। बैंकों में कौन से नवीनतम परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं।

प्रतिस्पर्धात्मक युग में वर्तमान बैंकिंग ग्राहक उन्मुख बैंकिंग है। पहले ग्राहक बैंक के पास आता था अब बैंक ग्राहक के पास जा रहे हैं। ग्राहक सेवा के क्षेत्र में हर बैंक गंभीर है तथा ग्राहक की आवश्यकताओं के दृष्टिगत ही योजनाएं तैयार की जाती हैं।

बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बड़ी ही तेज़ी से हो रहा है। बैंकों ने इस क्षेत्र में निम्नलिखित प्रभावपूर्ण कदम उठाये हैं।

कई बैंकों की सभी और कुछ बैंकों की आंशिक शाखाएं सीबीएस प्रणाली के माध्यम से पारस्परिक रूप से जुड़ चुकी हैं। सीबीएस शाखाओं में कुछ कार्य हिंदी में हो जाते हैं। ज्यादातर बैंकों में सीबीएस के लिए ''इन्फोसिस का फिनेकल'' साफ्टवेयर कार्य कर रहा है जबकि कुछ बैंकों में अन्य कंपनियों के साफ्टवेयर कार्य कर रहे हैं। सीबीएस में हिंदी के लिए ''स्क्रिपट मैजिक'' नामक साफ्टवेयर जो कि ट्रांसलेटिक साफ्टवेयर है जिसमें हम इंग्लिश में इनपुट देकर हिंदी में आउटपुट ले सकते हैं। प्रत्येक

खुद का सबसे अच्छा नेतृत्व आप स्वयं ही कर सकते है।

बैंक को अपने भी द्विभाषी डाटा साफ्टवेयर तैयार करने चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार उनका शाखाओं में प्रयोग किया जा सके। जिन शाखाओं को भविष्य में भी कंप्यूटरीकृत किया जाना है वहां आरंभ से ही द्विभाषी साफ्टवेयर इंस्टाल किये जायें।

इंटरनेट बैंकिंग के कारण कहीं भी, कभी भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

आरटीजीएस और ईएफटी प्रणाली के अंतर्गत बैंक निधि हस्तांतरण की सुविधा उपलब्ध है जिसमें शीघ्र फंड ट्रांसफ़र की सुविधा उपलब्ध है। इसमें सभी बैंकों की लगभग सभी शाखाएं प्रमाणित हैं।

सी .एम .एस. तथा एस .एफ .एम . एस प्रणालियों के जरिए बाहरी चैकों का शीघ्र संग्रहण तथा एडवाइसेज/ प्रेषण -कार्य को और कारगर बनाया गया है।

एटीएम सुविधा के कारण आज जहाँ ग्राहक-सेवा में परोक्ष सफलता मिली है, वहीं आहरण कार्य में कमी आने से स्टाफ़ का सदुपयोग अन्य कार्यों में किया जाने लगा है। इस समय लगभग 15 मिलियन कार्ड धारक हैं। एटीएम में भाषा का चयन अपने हिसाब से किया जा सकता है तथा इसके लिए आपको कोई टाइपिंग सीखने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने स्क्रीन पर पढ़कर केवल उंगली टच करके अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने हेतु भी भाषा ही माध्यम है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के भारतीय परिदृश्य में संभवतः हिंदी ही एकमात्र सशक्त माध्यम है। इसीलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार और विस्तार हेतु हिंदी को अपनाया है।

भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने सी-डैक पुणे के सहयोग से अंग्रेज़ी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ स्तर की हिंदी सीखने के लिए ''लीला'' राजभाषा साफ्टवेयर तैयार किया है।

''श्रुतलेखन'' राजभाषा एक स्पीकर इंडिपैंडेंट हिंदी स्पीच रिक्गिनेशन सिस्टम है जो बोली गई भाषा को डिजिटाइज करके इनपुट के रुप में लेता है और आउटपुट एक स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट (यूनिकोड के अनुरूप) के रुप में देता है।

''मंत्र राजभाषा'' की सहायता से अंग्रेज़ी के परिपत्रों, आदेशों, कार्यालय ज्ञापनों आदि का हिंदी अनुवाद किया जा रहा हैं ''मंत्र राजभाषा'' इंटरनेट तथा स्टैंड अलोन दोनों वर्जनों में उपलब्ध है। स्टैंड अलोन वर्जन को डाउनलोड करने की सुविधा भी है परंतु इसके माध्यम से बेहतर अनुवाद नहीं हो पाता है, क्योंकि वाक्य और भाषा का सही कंपास नहीं है।

इसके अतिरिक्त ''गूगल ट्रांस्लेशन'' भी उपलब्ध है। जिसमें आप भाषा का चयन करके अंग्रेज़ी से हिंदी के अतिरिक्त बंगला, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, और उर्दू में ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। गूगल में अकाउंट बनाकर अनुवाद करने पर गूगल अनुवादित वाक्यों को मेमोरी में ले लेता है। परंतु इसमें वर्ड-टू-वर्ड ट्रांसलेशन होती है, जिसका सही ढ़ंग से भावानुवाद करना पड़ता है।

भारत सरकार की साईट पर "ई महाशब्दकोश" भी उपलब्ध है। इसमें अर्थ एवं संबंधित जानकारी द्विआयामी उच्चारण सहित शब्दकोश खोजे गये शब्दों का उच्चारण तथा संबंधित जानकारी यूनिकोड फांट पर उपलब्ध है।

''वित्तीय समावेशन'' समाज के चहुंमुखी विकास के दृष्टिकोण से अब बैंक ग्राहक सभी आय वर्ग अर्थात उच्चतम से न्यूनतम / शून्य आय वर्ग से संबंधित भी हैं। ऐसे में प्रत्येक ग्राहक संवर्ग से संबंधित अभिनव उत्पादों की सूचना/ जानकारी ग्राहकों के द्वार-द्वार ,उनके कार्य स्थल तक पहुँचाने का बीड़ा उठाना है और इसका एक मात्र साधन प्रचार-प्रसार ही है। इस प्रचार प्रसार की अनिवार्यता के तहत बाज़ार की होड़ में हिंदी की व्यापकता और सुदृढ़ कर दी है। अधिकांशतः जनता द्वारा बोलने,समझने वाली भाषा हिंदी राजभाषा होने के कारण उत्पादों के प्रचार- प्रसार में हिंदी का प्रयोग उत्पादकों की व्यावसायिक विवशता बन गया है। बैंक व्यवसाय इससे इतर नहीं है।

निःसंदेह वैश्वीकरण इस वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में उपभोक्तावाद के विस्फोट के तहत अत्यंत विशाल बाज़ार को बैंक में समाहित करने हेतु राजभाषा हिंदी एक प्रभावी भाषा है, जिसे अपनाकर ही बैंक व्यवसाय की वृद्धि सुगमता से पल्लवित होगी।

बदलते बैंकिंग परिवेश में भी राजभाषा हिंदी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हिंदी का प्रयोग नवीनतम बैंकिंग में भी किया जा रहा है।

हर लक्ष्य को पाने के लिए कड़े परिश्रम और व्यक्तिगत व समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है। हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि अपनी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ाने का सतत् प्रयास करें।

हिंदी के प्रति वैधानिक प्रावधानों का सम्मान करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है लेकिन बैंकिंग परिप्रेक्ष्य में हिंदी के विकास, विस्तार और प्रसार का यह कार्य केवल राजभाषा विभाग या उससे जुड़े अधिकारियों का ही कर्तव्य नहीं है बल्कि यह हर स्टाफ़ सदस्य का उत्तरदायित्व है।

प्रधान कार्यालय, आईटी विभाग

मिनट व्यर्थ न करें, क्योंकि मिनट ही घंटे हो जाते है।

राजभाषा अधिकारी में नेतृत्व तथा आयोजन क्षमता एवं संवाद शैली

मोहन लाल

लगभग दो सौ वर्षो के लंबे ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के बाद स्वाधीन भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को निर्णय लिया कि संघ के राजकाज की आधिकारिक भाषा राजभाषा हिंदी होगी। यह भी तय किया गया कि 15 वर्षों तक देश में हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी भी चलती रहेगी। इसके पीछे यह अवधारणा थी कि इन 15 वर्ष की पर्याप्त अवधि में शासन प्रशासन का समस्त कामकाज राजभाषा हिंदी में होने लगेगा। लेकिन यह संभव नहीं हो सका। परिणामतः सन् 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया ताकि संघ के राजकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को अमल में लाया जा सके। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में यह आदेशपूर्वक निर्दिष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज यथा आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, सूचना, अधिसूचना, विज्ञापन, निविदा, संविदा, अनुज्ञप्ति, करार, संसद के दोनों सदनों में पेश किए जाने वाले प्रशासनिक और अन्य प्रतिवेदन आदि अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएंगे और इसका दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए। इसका उल्लंघन होने पर इन दस्तावेजों पर अंतिम रुप से हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यहीं से सरकारी कार्यालयों/बैंकों में हिंदी अनुवादकों और राजभाषा अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। बैंकों में उनकी कुल स्टाफ संख्या के एक निश्चित अनुपात में राजभाषा अधिकारियों के पदों का पर्याप्त संख्या में सृजन भी किया गया। लेकिन ये सृजित पद कभी भी पूरे के पूरे नहीं भरे गए।

कार्यालय परिदृश्य में हिंदी की स्थिति के प्रति नजरिया नकरात्मक ही नहीं, घनघोर घातक भी है। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी को अपनाने और इसे समुचित बढ़ावा देने के प्रति वांछित उत्साह प्रायः देखने को नहीं मिलता है। उच्चाधिकारियों से लेकर निचले पायदान तक हिंदी में काम करने की मानसिकता पर्याप्त रूप से अब तक नहीं बन पाई है। इस कंप्यूटर युग में ''कट-कॉपी-पेस्ट कल्चर'' के हावी हो जाने के कारण अब यह और भी कठिन हो गया है। जबकि सीधे मान लिया जाता है कि हिंदी में काम का मतलब हिंदी अधिकारी का काम। ऐसे प्रतिकूल माहौल में आँख और कान बंद करके राजभाषा अधिकारी अपनी कुर्सी पर एक कोने में बैठे रहें, चुपचाप ताने सहते जाएँ, यह भी संभव और उचित नहीं हैं। अपने विभाग के साथ-साथ इतर विभागों के सहभागियों से मिलना, उनसे विचार-विमर्श और बातचीत करना, अधीनस्थ कार्यालयों में दौरों पर जाकर उन कार्यालयों में काम कर रहे हर एक से सम्पर्क आदि कार्य ऐसे हैं कि अपने कार्यकाल में कोई भी हिंदी-अधिकारी आराम और चैन से अपने ही टेबल पर बैठकर नहीं कर सकता है।

तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अन्य किसी भी पद पर काम करने वाले अधिकारी को इतने अलग-अलग प्रकार के काम नहीं करने पड़ते। प्रशासनिक विभाग में काम करने वाले अधिकारियों के लिए बार-बार अपनी कुर्सी को छोड़ना जरूरी नहीं होता। चिकित्सा-अधिकारी या डॉक्टरों को अपने मरीजों का स्थान विशेष पर जाकर उपचार करना होता है। शिक्षक और प्राध्यापक पुस्तकालयों में पढ़कर क्लास में जाकर पढ़ाने का काम करते हैं, पर हिंदी अधिकारी का काम ऐसा है- कि उसे फील्ड में भी औरों से तेज दौड़ना जरूरी है और विभाग में भी दूसरों की तुलना में अच्छा और चुस्त रहना अपेक्षित है। क्योंकि हिंदी अधिकारी को कार्यशालाओं का आयोजन करना होता है, हिंदी दिवस का आयोजन करना होता है, शाखाओं का निरीक्षण भी करना होता है और हिंदी का ज्ञान भी देना होता है और अन्य कार्य भी करने होते है और न केवल करने होते है बल्कि अंग्रेजी मानसिकता से ग्रस्त स्टाफ से करवाने भी होते हैं जबकि सभी यह जानते हैं कि काम करने से ज्यादा मुश्किल काम करवाना होता है। इसके लिए उसे बहुमुखी प्रतिभासंपन्न होना आवश्यक है हर चुनौती का सामना करने के लिए चुस्त-दुरूस्त होना आवश्यक है। आइए, एक सफल हिंदी अधिकारी में अपेक्षित गुणों पर एक नजर डालते हैं।

हिंदी अधिकारी में 'नेतृत्व' करने की क्षमता का होना अत्यंत आवश्यक है। उसे देश की अधिकांश जनता और उस जनता की भाषा के प्रतिनिधि के रूप में, उनके समर्थन में सतत् खड़ा रहकर संघर्ष करना पड़ता है। अधिकांश जनता के पक्ष में और अल्पसंख्यकों की विदेशी भाषा के विरोध में, संगठन को गणतांत्रिक बनाने के लिए वह इस तरह आगे बढ़ता है कि साँप भी मरे और लाठी भी न टूटे। उसका लक्ष्य यह है कि उसका अपना संगठन अधिक से अधिक समाजोन्मुख बने, सामाजिक उपक्रम सही अर्थों में सामाजिक बने। कहना जरूरी नहीं कि इस तरह की जिम्मेदारी इतर अधिकारियों के कंधों पर नहीं होती है।

संक्षेप में, हम अपनी विभागीय टीम का ही नहीं, बल्कि उन करोड़ो का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो अंग्रेजी न समझने के कारण गणतांत्रिक व्यवस्था के लाभ नहीं उठा सकते। इस दिशा में हमें कुशलता दिखाकर देखना होता है कि अंग्रेजी जानने वाले लोगों में हमारे बारे में कोई कड़वाहट पैदा न हो। दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना निहायत जरूरी है। हिंदी अधिकारी में आयोजन क्षमता होना भी अत्यंत आवश्यक है।

हिंदी-कार्याशाला, हमारे विभाग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय परिणाम देने वाली गतिविधि है। हिंदी-कार्याशाला के आयोजन की यह स्थिति हमारे सामने बार-बार पैदा होती है और इसका सामना तभी किया जा सकेगा, जब हमारे फेफड़े मजबूत हों, गला साफ हो, लोगों को अलग-अलग उम्र के कर्मचारियों, महिलाओं और पुरुषों को व्याख्यान सुनते रहने में आखिर तक मजा आता रहे। इस तरह की कुशलता हमारे भाषण में आनी चाहिए। बोलने की क्षमता और कला जिनके पास नहीं- उनकी हर मेहनत प्रायः बेकार हो जाती है। प्रभावी रुप से लम्बे समय तक भाषण करने की क्षमता जिसके पास है, वह हिंदी अधिकारी निश्चय ही

लक्ष्य तय करके चलने वाले लोग ही सफल होते है।

सफल होता है। इसके साथ ही हिंदी अधिकारी को हिंदी दिवस का आयोजन करना होता है, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना होता है, प्रतियोगिताओं के परिणाम निकालने होते है तथा पुरस्कार वितरित करने होते है। इसके लिए राजभाषा अधिकारी को बहुमुखी प्रतिभासंपन्न तथा हर चुनौती का सामना करने के लिए चुस्त-दुरूस्त होना आवश्यक है। आयोजन की क्षमता होनी आवश्यक है।

भारतीय गणतंत्र के इतिहास में 15 अगस्त 1947 की तरह 14 सितंबर 1949 का राष्ट्रीय महत्व है। 14 सितंबर 1949 से पहले जनता की भाषा को केंद्रीय भाषा का सम्मान कभी भी नहीं मिला था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर का दिन देश-भर में मनाया जाता है। राजभाषा अधिकारी इसके आयोजन की तैयारी पहले से ही करता है। हिंदी दिवस को व्यापक और प्रभावी रूप से मनाने के लिए हिंदी दिवस समिति का गठन किया जा सकता है। यह समिति निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करने में सहयोग और मार्गदर्शन देगी।

इसके साथ ही समिति का गठन होने के बाद बैठक बुलाकर हिंदी दिवस/सप्ताह के उपलक्ष्य में प्रस्तावित कार्यक्रमों के बारे में विचार-विमर्श करके कार्यक्रम की सूची, कार्यक्रम का स्थान, जरूरी हो तो फोटोग्राफर, कार्यक्रम पर रिपोर्ट बनाना, प्रमुख अतिथियों के पहुँचने पर उनकी अगवानी, चाय-पान इत्यादि- छोटे से छोटे काम की सूची और उन्हें करने की जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्ति का नाम पूर्व निर्धारित होना जरूरी है। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कार्यसूची के अनुसार सभी बातें पूरी हो चुकी है और कार्यक्रम की तैयारी में कोई कसर नहीं रही है, सभी सदस्यों में इसकी सफलता के बारे में आत्मविश्वास पैदा हुआ है।

वरिष्ठ अधिकारियों से सम्पर्क करना भी अतिआवश्यक है, हिंदी दिवस के कार्यक्रमों में कार्यालयों के प्रतिनिधि, बाहर के अतिथि, प्रेस रिपोर्टर इत्यादि को आमंत्रित किया जाता है। ऐसे प्रसंग पर इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखना जरूरी है कि इस दौरान कोई अवांछित घटना न घटे। इस कार्यक्रम के दौरान हिंदी अधिकारी की भूमिका सुत्रधार के रूप में पर्दे के पीछे अधिक महत्वपूर्ण होती है। खुद बार-बार स्टेज पर आने की बजाय इतर सदस्यों और अधिकारियों को इस प्रसंग में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इस समारोह में हिंदी-विभाग के नहीं, बल्कि इतर विभागों के कर्मचारियों का योगदान अधिक महत्वपूर्ण होता है।

कार्यक्रम में श्रोताओं का सहभाग कितना रहा, पेश किए गए आइटम कितने सराहे गए, मुख्य अतिथि, अध्यक्ष एवं इतर वक्ताओं ने अपने भाषण में क्या-क्या कहा, इन सभी बातों के नोट लिख लेने की तैयारी होनी चाहिए, जिसके आधार पर अखबारों आदि के लिए रिपोर्ट कार्यक्रम के समाप्त होने के तत्काल बाद बनाई जा सके। हिंदी दिवस समिति के सदस्य अपने-अपने दायित्वों को ठीक तरह से निभाएँ, इसके लिए इस अवसर पर हमें सभी के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखना जरूरी है। कार्यक्रम के आयोजक के रूप में हमारा यह काम भी महत्वपूर्ण है कि आमंत्रित अतिथियों का उचित स्वागत हो, कार्यक्रम में उनका परिचय संतोषजनक रूप से दिया जाए। कार्यक्रम समाप्ति के बाद अतिथियों के लौटने का इंतजाम पहले से ही किया हुआ होना चाहिए।

अंत में कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन किन्हीं कर्मचारियों और अधिकारियों, हिंदी दिवस समिति के सदस्यों का हाथ रहा, सहायता मिली, उन सभी का आभार कार्यक्रम समाप्ति के समय और बाद में पत्र लिखकर भी किया जाना चाहिए।

प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग

"हर सैनिक को सलाम"

किरन नेगी

वो सैनिक है,
हालात से जूझता, दुश्मनों पर टूटता,
घर को भुलाकर, हिम्मत जुटाकर,
देश की रक्षा में तत्पर, दुनिया से बेखबर,
हर पल मौत के सामने रहकर भी,
उसे मात देने का माद्दा रखता है।।

वो सैनिक है,
हर धर्म से, हर जाति से ऊपर उठकर,
निकला है सिर पर कफन बाँधकर,
मौत खड़ी है, हर वक्त सामने, तो जानकर भी,
जो न डिगता है, न डरता है।।

वो सैनिक है,
हर पल को आखिरी मानकर, उसे सलाम करता है,
अपना हर पल, देश के नाम करता है,
तो उसका प्रताप ही तो है,
जो तिरंगा उसकी शान होता है,
इस पराई-सी दुनिया में, देश ही उसकी जान होता है।।

धन्य है वो सैनिक; जो खड़ा है सीमा पर हर-दम;
उत्सव से दूर, अपनों से दूर,
हमें उत्सव (खुशियाँ) मनाने के पल देता है,
खुद दहशत के साये में रहकर भी,
हमें जीने का सबब देता है।
देश के हर सैनिक को, हर हिन्दुस्तानी का सलाम।
उनकी वीरता और शहादत को हमारा शत्-शत् प्रणाम।।

शाखा, गुमानीवाला

सफलता दिखावट नही, बल्कि दृष्टिकोण है।

हिन्दी अनुवादः जटिलता एवं समाधान

स्वाधीनता के बाद से ही भारत में हिन्दी अनुवाद का महत्त्व बढ़ गया है। स्वाधीनता से पहले जहाँ प्रशासनिक कामकाज केवल अंग्रेजी में होता था वहीं आज़ादी के बाद केन्द्र सरकार सहित कई राज्यों में भी हिन्दी का प्रचनल बढ़ गया और राजभाषा अधिनियम 1963 के लागू होने के बाद तो केन्द्र सरकार ने सरकारी तंत्र को हिन्दी सीखना अनिवार्य कर दिया। दिल्ली में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना करके अनुवाद विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में देश भर के केन्द्रीय सरकार के उपक्रमो के अधिकारियों के लिए अनुवाद पाठ्यक्रम चलाये जा रहे है। यही नहीं बैंकों में राजभाषा अधिकारियों के पद निर्मित किए गये। विभागीय प्रशिक्षण के साथ-साथ डैस्क प्रशिक्षण तथा हिन्दी कार्यशालाएं भी चलाई जा रही है। चूंकि हिन्दी देश की सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, इसलिए हर बैंक अपने व्यायसायिक प्रसार के लिए हिन्दी अपना रहा है। परन्तु अभी भी उच्च प्रशासनिक अमला और ब्यूरोक्रेट अपना काम अंग्रेजी में करते हैं, इसलिए इन आदेशों को सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी विभागीय अनुवादकों की होती है। अनुवाद की मूलभूत कला और मर्म को यदि अनुवादक आत्मसात कर लेता है तो अनुवाद में मूलभाषा की आत्मा जीवित रहती है। अनुवादक में निम्न गुण तो होने ही चाहिए-

क) **दोनों भाषाओं में महारथः** अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करते समय यदि अनुवादक को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है तो स्वाभाविक है कि अनुवादित सामग्री में गुणवत्ता नही आयेगी। इसलिए अनुवादक को दोनों भाषाओं का कम से कम कार्यसाधक ज्ञान होना जरूरी है। यदि महारथ है तो ज्यादा अच्छा रहता है। अनुवाद के समय बढ़िया शब्दकोष जरूर पास में रखें। परेशानी के समय से शब्दकोष आपको सही शब्द के चयन में मदद करेगा। वैकल्पिक शब्द चयन के समय मूलभाषाके संदर्भ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

ख) **सही शब्द को चुनें:-** अनुवाद के समय विषयवस्तु का प्रसंग आपको सही विकल्प ढूंढने में मदद करेगा। CREDIT शब्द के कई अर्थ हैं। जमा, उधार, साख आदि। अनुवादक को प्रसंग समझकर अनुवाद करना चाहिए कि यहाँ क्रेडिट किस संदर्भ में लिया गया है।

ग) **शब्दानुवाद नहीं भावानुवाद करें:-** अनुवादक को पहले सारा पैराग्राफ पढ़कर मूल विषय समझ लेना चाहिए और फिर अनुवादित भाषा में अनुवाद की जाने वाली भाषा की भावना का अनुवाद करना। चाहिए। शब्द-दर-शब्द अनुवाद मूलभाषा की आत्मा को गलत संदर्भ देगा। रेलों में अंग्रेजी के वाक्य "DO NOT WASTE WATER" का भावानुवाद होता है "कम पानी का प्रयोग करें" यदि शब्दानुवाद करेंगे तो आयेगा "पानी बर्बाद न करें" जो अस्वाभाविक सा लगता हैं हमेशा भावानुवाद ही करें। इससे मूल भाषा की आत्मा जीवित रहेगी।

घ) **अनुवाद छोटे वाक्यों में करें:-** हर भाषा की अपनी मौलिकता होती है। अनुवाद करते समय पूरा ध्यान रखें कि मूल भाषा की मौलिकता बनी रहे। कर्ता, कर्म और क्रिया कर समन्वय हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के नियमों के अनुसार करें। भाषा सौष्ठव का सम्मान जरूरी है।

च) **अनुवाद छोटे वाक्यों में करें:-** अंग्रेजी के वाक्य सामान्यतः बड़े होते हैं। अनुवादक को चाहिए कि वह विषयवस्तु की मूल भावना को बनाये रखते हुए अनुवाद छोटे-छोटे वाक्यों में करें। न्यायिक विषयवस्तु की सामग्री में यह प्रयोग अत्यन्त लाभकारी रहता है। हिन्दी के छोटे-छोटे वाक्य अनुवाद को सुगम बना देंगे।

अनुवाद एक वैज्ञानिक कला है। इसलिए अनुवाद करते समय दोनों भाषाओं के सौंदर्य और व्याकरण का ध्यान रखने वाला अनुवादक ही श्रेष्ठ कहा जायेगा।

डॉ. कुलवंत सिंह शेहरी

सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक

प्यारी दादी माँ

नीलेश रूवाली

थी ऐसी हमारी दादी जिनकी हर बात निराली थी।
हर रात बड़ी बड़ी शिक्षा छोटी छोटी कहानियों में बताती
अपने हाथों से बने पकवान बहुत ही प्यार से खिलाती
माँ बाप की डाँट से हमें बचाती थीं
हमारी एक मुस्कान के बदले हमारी गलतियों को माफ कर जाती और प्रभु वंदन में ही अपना सुख पाती

थी ऐसी हमारी दादी जिनकी हर बात निराली थी।
कभी वो सरल, कभी सख्ती से पेश आती
गलती करे जो कोई, तो सही राह दिखाती
बड़े प्यार से हमें अपनी गोद में सुलाती
हर समस्या का उनके पास होता समाधान
मुसीबत कैसी भी हो वो परिवार की ढाल बन जाती
दुनियादारी की बातें सिखलाती और सभी प्रपंचों से हमें बचाती

थी ऐसी हमारी दादी जिनकी हर बात निराली थी।
उम्र के दायरे से परे अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाती
उनके हरेक फैसले में परिवार की भलाई नजर आती
कभी भी भेदभाव से वो किसी से पेश नहीं आती
सबकी फिक्र करती, सबसे प्यार से मिलती
कितनी भी हो जाती थी उन्हें थकान
फीकी नहीं पड़ी कभी उनकी मुस्कान

थी ऐसी हमारी दादी जिनकी हर बात निराली थी।
नुस्खा उनका लगता जादुई, हर बीमारी का रामबाण
कहने को तो ना ली उन्होंने, कभी कोई स्कूली शिक्षा
पर अपने अनुभवों से बटोरा उन्होंने खूब सारा ज्ञान
जब भी आता प्यार उन्हें तो आशीर्वाद की बारिश हो जाती
उनकी पारखी नजरें सबकुछ आसानी से समझ जाती
परिवार का मजबूत आधार, वजनदार उनकी हर बात
दादी हमारी थी जिनकी हर बात निराली।

प्रधान कार्यालय, निवेश प्रबंधन विभाग

नम्रता ही सभी अच्छे गुणों की बुनियाद है।

उद्घाटन

आँचलिक कार्यालय विजयवाडा का उद्घाटन करते हुए आंध्र-प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्र बाबू नायडू तथा साथ है हमारे बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉ. फरीद अहमद जी, आँचलिक प्रबंधक श्री एस.वी.एम. कृष्णाराव जी तथा अन्य स्टाफ सदस्य।

बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉ. फरीद अहमद जी, आंध्र-प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्र बाबू नायडू जी को बैंक का स्मृति-चिह्न भेंट करते हुए।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

जहाँ सेवा ही जीवन-ध्येय है

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

फेस्टिवल बोनान्ज़ा अभियान
आवास, किसान आवास एवं ऑटो ऋण के लिए

01-10-2018 से 31-12-2018 तक

पी एस बी आवास ऋण
PSB HOUSING LOAN

* शून्य प्रोसेसिंग फीस
* न्यूनतम मासिक किस्त
* आकर्षक ब्याज दर*
* अधिकतम भुगतान समय 40 वर्ष तक
* शून्य निरीक्षण शुल्क (पहले वर्ष के लिए)

पी एस बी किसान आवास ऋण
PSB KISAN HOME LOAN

* शून्य प्रोसेसिंग फीस
* न्यूनतम मासिक किस्त
* आकर्षक ब्याज दर*
* अधिकतम भुगतान समय 20 वर्ष तक
* शून्य निरीक्षण शुल्क (पहले वर्ष के लिए)

पी एस बी ऑटो ऋण PSB AUTO LOAN

* शून्य प्रोसेसिंग फीस
* न्यूनतम मासिक किस्त
* आकर्षक ब्याज दर*
* शून्य निरीक्षण शुल्क
* अधिकतम भुगतान समय 7 वर्ष तक

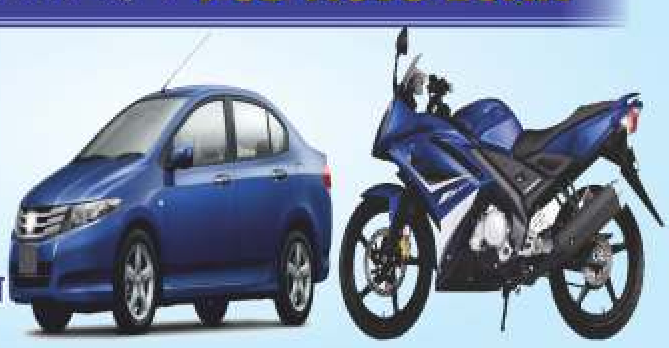

अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा से संपर्क करें अथवा हमारी वेबसाइट www.psbindia.com पर जाएं। *शर्तें लागू